लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र / Fourteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची /CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 30 जुलाई, 1975/8 श्रावण, 189 (शक)

No. 8, Wednesday, July 30, 1975/Sravana 8, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1-2
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	2
सभा की बैठकें नियत किये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement *re*. Sittings of the House . .	3
श्री के० रघुरामैय्या	Shri K. Raghu Ramaiah . . .	3
बैंककारी सेवा आयोग विधेयक	Banking Service Commission on Bill . .	3—27
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	3-4
श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman . . .	4-5
श्री अरविन्द बाल पजनौर	Shri Aravind Bala Pajanor . . .	5-7
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . . .	7-8
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	8-9
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	9-10
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shayam Sunder Mohapatra . .	10-11
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	11-12
श्री पी० के० घोष	Shri P. K. Ghosh	12-13
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	13-14
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari . . .	14-15
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar . .	15-16
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo . . .	17
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	17
खण्ड 2 से 33 और 1	Clauses 2 to 33 and 1	18—27
विचार करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended .	27
कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक	Employees State Insurance (Amendment) Bill	27—37
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha —	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunathaeddy	27-28

विषय	SUBJECT	PAGE
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	28-29
श्री रामसिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	29-30
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	30
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	31
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	31-32
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	32-33
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi	33-34
डा० कैलास	Dr. Kailas	34
श्री अमरनाथ विदयालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	34-35
खण्ड 2 से 9 और 1	Clauses 2 to 9 and 1	36
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	37
तारयंत्र तार (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक	Telegraph Wires (Unlawful Possession) Amendment Bill	37—45
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
डा० शंकर दयाल शर्मा	Dr. Shankar Dayal Sharma	37-38
श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura	38
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	38-39
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	39-40
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	40
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	40
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	40-41
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. 'Madhukar'	41
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	41
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	42
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	42
श्री पन्नालाल बारुपाल	Shri Panna Lal Barupal	42
खण्ड 2 से 6 और 1	Clauses 2 to 6 and 1	44
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	46

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दबान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपूर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दाम णी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मराज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिवेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री आन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वंशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मरहोत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सुरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रावर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंड रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैंदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचे ट्रिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री राबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(हं)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री .	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रहमण्यम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्राभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	महिषी डा० सरोजिनी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एल० एम० त्रिवेदी

उप–मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ़० एस० मोहसिन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री]	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 30 जुलाई, 1975/8 श्रावण, 1897 (शक)

Wednesday, July 30, 1975/Sravana 8, 1897 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(MR. SPEAKER *in the Chair*)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्त्तमान आर्थिक स्थिति : एक समीक्षा

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं "वर्तमान आर्थिक स्थिति : एक समीक्षा" नामक दस्तावेज (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9896/76]।

रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) नियम के बारे में विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं श्री ए० सी० जार्ज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

> रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1974, जो दिनांक 20 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 147 (ङ) में प्रकाशित हुए थे को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9897/75]

जमा बीमा निगम, बम्बई का प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और विशेष जमा योजना और विदेशी मुद्रा विनियम (संशोधन) नियमों के बारे में अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा 2 के अन्तर्गत जमा बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9898/75]।**

(2) गैर-सरकारी भविष्य सेवानिवृति तथा उपदान निधियों के लाभ संबंधी विशेष जमा योजना के लागू किये जाने के बारे में अधिसूचना संख्या एफ० 16(1)—पी० डी० / 75 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9899/75]।**

(3) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 79 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 मई, 1975 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 663 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9900/75]।

हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखें

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9901/75]**

———

राज्य-सभा से सन्देश

Message from Rajya Sabha

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 25 जुलाई, 1975 को पास किये गये वित्त (संशोधन) विधेयक, 1975 के बारे में 'लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा 29 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 25 जुलाई, 1975 को पास किये गये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक, 1975 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

———

सभा की बैठकें नियत किये जाने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: SITTINGS OF THE HOUSE

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि सदन की बैठकें सोमवार तक होंगी । अब शुक्रवार पहली अगस्त तथा सोमवार 4 अगस्त, 1975 को भी बैठक होगी ।

बैंककारी सेवा आयोग विधेयक--जारी
BANKING SERVICE COMMISSION BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम बैंक कारी सेवा आयोग विधेयक पर विचार करेंगे। श्री दरबारा सिंह अपना भाषण जारी रखें ।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): I have already suggested that there should be a scrutiny of the staff of the banks because it has been said in the report of the Banking Commission that persons without proper qualifications have been appointed. Some employees are the relatives of some employees so they have been recruited even though they did not possess the necessary qualifications. Efficiency cannot be achieved through such staff. It has been said that the profits of the banks have been reduced by 88 lakhs of rupees. This is because efficient people have not been taken in the banks. The banks cannot function efficiently unless they did not have qualified staff. So it was necessary that recruitment to all the baks was brought within the purview of This Service Commission.

Though it has been stated that 15 per cent posts for Scheduled Castes and 7 per cent posts for Scheduled Tribes will be reserved. Yet in practice the posts are not filled by these people on the pretext that suitable persons are not available. This should not happen again. These seats reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be duly filled.

It has been said that 51.2 per cent branches of the banks are those which have been opened in the rural areas after 1969. It is heartening that this has been done. But there is great need to revolutionise the present cooperative system. The primary credit societies should be strengthened and the commercial banks should give them sufficient credit so that they can serve the rural people. Moreover, qualified persons should be appointed for the collection of deposits from the rural areas. If this is not done, the deposits will go down.

It is difficult to agree with the view that more interest should be charged on the credit given in rural areas as it would go against our goal of removal of rural indebtedness. Moreover, loans should be advanced for setting up small scale industries and small units. Small farmers should be given short term loans.

One of the recommendations made by the Banking Commission is that if a farmer has become defaulter on account of failure of two crops then the recovery of the loan should be fiexible. Here it is also necessary that if the crops failed due to continuous drought, then also the recovery of loan should not be made rigidly.

If any employee is not able to finish his work within office hours, the reason should be found out and the payment of overtime allowance to the employees should be stopped not only in the banks but in all offices. This disease has become

[Shri Darbara Singh]

so widespread that it is time to control it. Other day, the Finance Minister has cited an example of a peon whose pay is more than that being drawn by the high officers because he earns huge amounts of money in overtime. So, the payment of overtime allowance should be stopped forthwith.

Small men like carpenters and artisans should also get the credit facility from the banks. The Central Bank of India has already started it; it should further be extended.

Slum clearance programmes will be implemented in the states. It is a right step. But if slums are cleared from one place, these are raised at other places. This is what is happening in Delhi. Allotments made to the slum dwellers are sold to other people by them and they again raised slums somewhere else. Government should take steps to ensure that the allotments are not sold to other persons.

In order to bring about efficiency in the working of the banks, it is necessary that the employees were given proper training before their appointments.

It has been stated that work will be started in the regional languages in the banks in the coming three years if this work is completed in three years, it will be a good achievement.

It is also necessary that the banks are headed by persons who are committed to the uplift of the poor. Only then the purpose of nationalisation of banks will be served.

It is necessary that more attention should be paid to the rural areas because 80 per cent of the Indian population is living there. Loans should be given to the small farmers, small scale industries and small units not to the big persons which have already amassed huge amounts of black money with them. If Government resort to demonetisation, it will be in the interest of the country.

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj): Although somewhat delayed this Bill is a step in the right direction. However, some of the clauses are very objectionable and the Government will do well to bring in suitable amendments in regard to them. So that the country may be benefited to some extent.

In clause 3(4) of the Bill it has been said that the 'The Commission shall have regional offices in such States/or group of States as the Commission may, with the previous approval of the Central Government, determine and no such regional office shall be abolished without the previous approval of the Central Government'. Our view is that this provision will lead to trouble in future in regard to the opening of regional offices. So this clause should be suitably amended.

Then clause 4 of the Bill laid down that "nearly one-half of the Members of the Commission shall be persons who, on the date of their respective appointments have had experience of not less than ten years in a banking company or in any public sector bank or Reserve Bank or in an institution wholly or substantially owned by the Reserve Bank or a public financial institution. This means that only persons having bank experience will be taken in the Commission. Did we not have other financial experts in our country? Then why such a provision has been made. This clause also needs to be amended.

It was also necessary to provide that of the eight members of the Commission, one would be from the Scheduled Castes and one from the Scheduled Tribes.

The Bill also provides that the Chairman or any member "shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years". This is not proper. The term should be reduced from five years to three years and the upper age limit should be 55 years instead of 65 years. It is also necessary to provide in the Bill that any such person having any affiliation with an organisation indulging in anti-natioal activities, would not be appointed either a member or chairman of the Commission, only such persons should be taken in the Commission who are committed to the development of the banking institution. There is one person working in the Ministry of Finance who is Chairman of the Board. His wife has donated Rs. 1 lakh to the Anand Marg. I have got proof in this regard.

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सशीला रोहतगी): अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहती हूं कि उन लोगों का नाम यहां नहीं लिया जाना चाहिये जो यहां नहीं हैं । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूं कि वह चाहे तो मेरे पास इस सम्बन्ध में ब्यौरा भेज सकते हैं । मैं निश्चय ही उस पर छान-बीन कराऊंगी ।

Shri Md. Jamilurrahman: I have not named any person.

Mr. Speaker: If any allegation is to be levelled against any person, information is given first of all.

Shri Md. Jamilurrahman: I have not any named persons. I have said that there is an officer who is Chairman. So persons having affiliations with some organisations involved in anti-national activities should not be made Chairman.

I submit that clause 13 should be deleted. There are certain other clauses like it. All the Corporations are meant for public and the people should be benefited by these banks.

I would like to say that Government should pay attention to my suggestion. This Bill should be for people and not for a particular class.

श्री अरविन्द बाल पजनौर (पांडिचेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यह सही समय पर लाया गया है । यह ठीक संघ लोक सेवा आयोग की तरह है । माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये बैंक किस तरह से कार्य कर रहे हैं । उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया है कि उन लोगों को ही गांवों में भेजा जाना चाहिये जिन्हें ग्रामीण जीवन का कुछ अनुभव है । उन्होंने आयोग के सदस्य के लिये 10 वर्ष के अनुभव की व्यवस्था का उल्लेख किया है । मुझे भय है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 10 वर्ष का बैंककारी अनुभव नहीं हो सकता है । मेरा अनुभव यह है कि शहरी क्षेत्र के लोग गावों में जाने से कतराते ह और यदि उन्हें गावों में भेजा भी जाता है तो वे शहरों में उपलब्ध शर्तों को लागू करने का प्रयत्न करते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि गांवों के आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है । अतः इस आयोग के अधीन जब भी भरती के नियम बनाये जायें इस तब इस ओर भी ध्यान दिया जाये कि सेवा शर्तें सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार ही बनाई जायें ।

[श्री अरविन्द बाल पजनोर]

जहां तक बैंकों में पदोन्नति का सम्बन्ध है, कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति दी जाती है और क्लर्क ग्रेड से 25 प्रतिशत की आरक्षण व्यवस्था है। मेरा अनुरोध है कि इसी तरह अटेन्डैंट और अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों में से लिपिक पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था भी होनी चाहिये। अनेक अटेन्डैंट और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी स्नातक हैं।

यद्यपि हम कह सकते हैं कि हम लोगों के पास जा रहे हैं और अनेक नई शाखायें गांवों में खोली जा रही हैं फिर भी आम आदमी को इससे अधिक लाभ नहीं हो रहा है। सेवा आयोग के पर्यवेक्षी कर्मचारी हैं गांवों में बैंक की सेवायें बढ़ाने के लिये पर्यवेक्षी कर्मचारी ही पर्याप्त नहीं हैं। अतः गांवों में जो बैंक हैं, वे एक पृथक आयोग अथवा एक समिति के अधीन होने चाहिये।

हमारी 85 प्रतिशत जन संख्या गांवों में रहती है। अतः हमें अपनी योजना इस प्रकार बनानी चाहिये कि ये आयोग इन क्षेत्रों में कुशलता, उत्साह और वास्तविक सेवा भाव से कार्य करें। यदि हम ऐसा कानून बनायेंगे जिससे बैंककारी संस्थायें ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान दे सकें तो हम अपनी ग्रामीण जनता की सच्ची सेवा कर सकेंगे।

कुछ सदस्यों ने संदेह व्यक्त किया है कि ये वित्तीय संस्थायें बड़े-बड़े उद्योगपतियों और किसानों की मदद कर रही हैं। यद्यपि यह कहा जाता है कि गरीब लोगों की मदद की जा रही है। फिर भी हमें पता है कि केवल प्रभावशाली लोगों को ही लाभ हो रहा है क्योंकि इस में अनेक त्रुटियां हैं जब तक ये त्रुटियां दूर नहीं की जायेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। अतः मेरा निवेदन यह है कि आयोग की नियुक्ति के बाद यथाशीघ्र नियम बनाये जायें।

हमारे देश में, खास तौर से दक्षिणी भारत में अनेक चिट फंड कम्पनियां कार्यरत हैं। ये वित्तीय संस्थायें भी हैं। ये भारी मुनाफा कमा रही हैं। पता नहीं कि क्या यह आयोग अपनी पर्यवेक्षी या सलाहकारी अथवा नियंत्रक शक्ति का उपयोग इन संस्थाओं में करेगा। ये संस्थायें राज्यों के कानूनों के अंतर्गत आती हैं। इन संस्थाओं को केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये।

देश के अन्य भागों में इसी तरह की संस्थायें हैं। किराया-खरीद कम्पनियां और धन उधार देने वाली संस्थायें हैं। इन संस्थाओं में ऐसे अनेक लोग काम कर रहे हैं जिन्हें वित्त सम्बन्धी कतई अनुभव नहीं है। यदि इन संस्थाओं को मुक्त रूप से कार्य करने दिया जायेगा तो इस से हमारी वित्तीय स्थिति के ढांचे को नुकसान होगा। हम इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिये कोई विधान नहीं ला रहे हैं। इस बैंककारी सेवा आयोग को इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखना चाहिये क्योंकि इन कम्पनियों में अनेक कदाचार हो रहे हैं।

हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद ग्राहक सेवा बिगड़ गई है। वहां पैसा जमा करने के लिये घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। केवल इस तरह के विधान द्वारा यह विनियमित नहीं किया जा सकता है। इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिये जब तक कोई लक्ष्य या कोई विनियमन नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं किया जा सकेगा।

आपात स्थिति में इस व्यवसाय से सम्बन्धित अन्य सेक्टरों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। अधिकारी इस पहल पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और लोगों को यह सेवा प्रदान करें ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवन्तु पुजा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंककारी कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति करने के उद्देश्य से बैंककारी सेवा आयोग की स्थापना एक अच्छा कदम है ।

बैंकिंग में अत्यधिक प्रबल बात व्यक्तिगत सेवा की है । यह अन्य निर्माता उद्योगों की तरह नहीं है, जहां अनेक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है । बैंकों में व्यक्तिगत सेवा ही सर्वोपरि पहलू है । बैंकिंग संस्थान की सफलता या विफलता बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों पर निर्भर करती है ।

यह सर्वविदित है कि गत कुछ वर्षों से बैंकिंग उद्योग की लोकप्रियता में ह्रास हुआ है। लोगों के मूल्यांकन के मुताबिक बैंकिग पद्धति भाई-भतीजावाद का अखाड़ा बन कर रह गई है । इसके कुछ क्षेत्रों में अहंकार, गुस्ताखी तथा नितान्त गैर-जिम्मेदारी ही है । यह जन सामान्य का मूल्यांकन है और जन साधारण की धारणा प्रधान मंत्री की उस टिप्पणी में परिलक्षित होती है जो कि देश में आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करते समय की गई थी । यदि राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में लगे लोग दुर्व्यवहार करेंगे तो राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त की बदनामी होगी। इन लोगों को अच्छा वेतन मिलता है उन्हें समयोपरि भत्ता भी बहुत अच्छा मिलता है । फिर भी जो भी बैंकों में पैसा जमा करने जाता है उसके साथ उचित बर्ताव नहीं होता है । इसमें सुधार किया जाना होगा क्या इसमें सुधार उपयुक्त लोगों की भर्ती करके किया जायेगा ? भर्ती के समय व्यक्ति बिलकुल ठीक होता है लेकिन जब एक बार वह भर्ती हो जाता है तो अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी इस तरह का बर्ताव करना आरंभ कर देता है । इस ओर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है कि बैंककारी उद्योग में मजदूर संघ हैं। इन मजदूर संघों के नेताओं और इस उद्योग के प्रबन्धकों में सांठ-गांठ होती है ।

अच्छा, अब हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं । अब यह सिद्धांत बनाया जा रहा है कि औद्योगिक समितियां होनी चाहिएं । जो विभिन्न उद्योगों में स्थिति का जायजा लें और निदेश दें । बैंक उद्योग में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सरकार, बैंककारी प्रबंधक, वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय मजदूर संघ के नेता उपस्थित थे, और वहां यह समझौता हुआ था कि एक औद्योगिक समिति बनायी जाये । परन्तु ऐसा समझा जाता है कि इस समझौते को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । मैं श्रम मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिला रहा हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य संस्थाओं की सेवा में सुधार करना है । और मैं कहता हूं कि भर्ती करके सेवा में सुधार नहीं होगा । सेवा में सुधार तभी होगा जबकि वे इस समिति को बनायें जिससे प्रबंधक और कर्मचारी के अतिरिक्त जनसमुदाय पर भी ध्यान रखा जाये । श्रम मंत्रालय की इस समिति के बारे में क्या प्रतिक्रिया है , यदि बैंकों के लिए इस औद्योगिक समिति के प्रस्ताव को ठुकराया जायेगा तो किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक समिति नहीं बन सकेगी । इस प्रस्ताव को रद्द नहीं किया जाना चाहिए । मेरा यही निवेदन है ।

यदि इस विधयक को समुचित रूप से लागू करना है तो इसके बाद के पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना होगा और बाद के पहलुओं से मेरा मतलब एक समुचित राष्ट्रीय व्यवस्था से है जिसके

[श्री सी० एम० स्टीफन]

अंतर्गत बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की जा सकती है, निगरानी रखी जा सकती है, नीतियां बनाई जा सकती हैं और उनका कार्यान्वयन भी किया जा सकता है जिससे बैंककारी संस्थाओं से कुछ लोगों को ही लाभ न हो ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इससे कार्यकुशलता बढेगी, सेवा में सुधार होगा ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Mr. Speaker, Sir, many honourable friends have tried to point out many mistakes in this Bill. Even then this Bill is useful and I support it.

I would like to say the honourable Minister that it is of utmost importance that in the Banking Commission only such persons are taken as are committed to the policies of the Government, who wish success for the public sector, who want that the nationalised institutions move forward and who believe in socialism and democratic system. It is evident that if these persons are of this type then employees recruited by them will also be persons who believe in these principles.

Secondly, I want to say about Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Much is said about safeguarding the interest of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. No doubt in various services some posts have been reserved for them. But what about implementation?

In the Patna Branch of the Reserve Bank of India more than 100 Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees are working. But they are not getting promotion. Last time when I raised this question in the House, the answer given was that Government are unable to do anything because of some agreement made with the All India Bank Employees Association. But the Secretary of this Association has said that there has been no such agreement. The matter should be inquired into and these employees should get promotion.

Mr. Speaker, Sir, many Members said that appointments are made on the basis of caste. I also want to point out that money is also taken for making appointments in Bihar. I hope that after the appointment of the Commission these evils will be stopped.

In the Banks there are a large number of temporary employees. These employees should not be discharged by this Commission. They should be retained.

It is also essential that the Members of various regional Commissions should understand the languages of different areas. Therefore in the regional Commissions people having knowledge of various languages, particularly of those areas, should be there.

Since a good number of class IV employees are matriculates, higher posts should be kept open for them as they have been working there for years together.

The appointments in the banks should be made irrespective of caste and creed and no discrimination should be practised in this respect.

At present the All-India Bank Employees Association is the sole organisation in the Banking industry. In order to root out corruption prevalent there Government should seek its cooperation.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई, उत्तर-पूर्व) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । निस्संदेह प्रस्तावित बैंककारी सेवा आयोग की नियुक्ति के कदम का स्वागत है, परन्तु इसके साथ ही यह महसूस किया जाना चाहिये कि विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है और इसका एक विशेष उद्देश्य है । सरकार बैंक सेवा में कार्यकुशलता बढ़ाना चाहती है ।

बैंककारी आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप इस आयोग की नियुक्ति की जा रही है और यह संघ लोक सेवा आयोग के आधार पर नियुक्त किया जायेगा । इस विधेयक का उद्देश्य क्लर्कों और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों तथा कनिष्ठ अधिकारियों की भर्त्ती को संकेन्द्रित करना है । यद्यपि इसका उद्देश्य प्रशंसनीय है फिर भी विधेयक का प्रारूप इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सहायक नहीं है । भर्त्ती को नियमित करने के उद्देश्य तथा बैंकों में अच्छे लोगों को भरती करने के बीच बहुत अंतर है ।

[श्री ज० विश्वनाथन पीठासीन हुए]

SHRI G. VISHVANTHAN *in the Chair.*

भर्त्ती के मामले में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं की व्यवस्था की गई है । योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे इस आयोग के कार्यकलापों से निकाल दिया गया है ।

प्रत्येक बैंक विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध रिक्त स्थानों के बारे में एक विवरण प्रस्तुत करेगा । आयोग इन रिक्त स्थानों का रिकार्ड रखेगा परन्तु इसे यह शक्ति नहीं है कि वह बैंकों को नियुक्ति करने के लिये बाध्य कर सके । यह केवल सिफारिश कर सकता है । और बैंकों को स्वयं यह निर्णय करना है कि क्या रिक्त स्थान भरे जाने चाहिये अथवा नहीं । रिक्त स्थान भरे जाने के लिये कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है । हम नहीं चाहते कि इस देश के शिक्षित युवकों में निराशा की भावना आये । अत : इसके लिये एक सलाहकार समिति हो जिसमें मजदूर संघों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर रोजगार सम्बन्धी नीति निर्धारित करें जिसमें व्यक्तियों का चयन, व्यक्तियों के चयन के नियम ही शामिल न हो । अपितु इसमें रोजगार की और व्यवस्था करने का उपबंध हो ।

आयोग के लिये कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत होने चाहियें । इसका सम्पर्क प्रबंधकों से नियमित रूप से होना चाहिये और प्रबंधकों को इन मार्गदर्शी बातों का पालन करना चाहिये । जब तक आयोग को इस प्रकार की शक्तियां और कार्य नहीं सौंपे जायेंगे तब तक केवल परीक्षायें लेने और योग्य प्रत्याशियों की सूचियां बनाने से कोई लाभ नहीं होगा ।

विधेयक के उद्देश्यों में यह कहा गया है कि कनिष्ठ अधिकारियों की नई भर्त्ती 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये । कुछ करारों में यह व्यवस्था है कि कनिष्ठ अधिकारियों के 'काडर' के लिये नई भर्त्ती केवल 15 प्रतिशत तक हो सकती है । मंत्री महोदय को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिये कि बैंक के संघों के साथ वर्तमान समझौता में यदि पदोन्नति, भर्त्ती और स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई विशेष उपबन्ध हों तो इन्हे इस विधान के अन्तर्गत संरक्षण मिलेगा, ताकि वे इन उपबंधों को कारगर ढंग से लागू कर सके और कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके । यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो इसे लागू करना कठिन होगा ।

[श्री राजा कुलकर्णी]

बहुत से बैंकों के अपने अपने प्रशिक्षण कालेज और स्कूल हैं। यदि बैंक कारी आयोग परीक्षायें लेगा तो यह भी आवश्यक है कि यह आयोग 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रशिक्षण संस्थाओं के समन्वये और केन्द्रीकरण के कार्य को भी अपने हाथ में ले। केवल तभी बैंकों के लिये अच्छे काडर की व्यवस्था हो सकेगी।

इन बातों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : सभापति महोदय जैसे ब्रिटेन के लोगों के लिए मेग्ना कार्टा लोकप्रिय प्रतिनिधित्व की शुरुआत थी इसी प्रकार हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधारात्मक उपायों का आरम्भ है।

विधेयक में आयोग के सभापति और सदस्यों के बारे में यह कहा गया है कि आयोग के सभापति तथा सदस्यों के स्थान पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाये जो योग्य तथा सत्यनिष्ट हों तथा जिनका वित्तीय अथवा आर्थिक या व्यापार प्रशासन का व्यावहारिक अनुभव हो।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि विकासशील अर्थव्यवस्था अथवा सामंतवाद से समाजवाद की ओर बढ़ते हुए समाज में यह जरूरी है कि आयोग के सभापति तथा सदस्य लोगों की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करें। वे जनता की मनोवृत्ति को समझें तथा सरकार की नीतियों का समर्थन करें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक ये सब बातें अतिशयोक्तिपूर्ण होंगी।

यदि बैंकों के ये कार्यकारी अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तरह अपने आपको एक अलग वर्ग अथवा वरिष्ठ श्रेणी के लोग समझने लगें तो यह समस्त प्रस्ताव अर्थहीन हो जायेगा अत : मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आयोग के सभापति तथा सदस्यों के चयन की कसौटी यह होनी चाहिये कि उन्हे जिस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है वे उसके लिए वचनबद्ध हों। यदि सभापति जनता की इच्छा, आम राय और सरकार की नीति के प्रति आम प्रतिक्रिया के साथ नहीं चलता है तो नियुक्ति उचित नहीं की गई है। यह भी लिखा गया है कि सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और वह 65 वर्ष की अवस्था तक रह सकेगा। मैं समझता हूं कि 65 वर्ष की आयु रखना उचित नहीं है क्योंकि नवयुवकों को भी अवसर मिलना चाहिये। साथ ही चूंकि बैंक कार्मचारियों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है अत : एक बैंक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिये। जब तक यह आयोग नहीं बनता है बैंकों में मनमाने तरीके से व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी।

हर साल बैंकों में 47,000 कर्मचारियों की भर्त्ती की जा रही है इसमें से 18 प्रतिशत अधिकारी, 24 प्रतिशत अधीनस्थ अधिकारी और 58 प्रतिशत क्लर्क हैं और 1980 तक इनकी संख्या 4.97 लाख तथा 1985 तक 7.30 लाख हो जायेगी। अत : इन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सेवा आयोग अति आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन कार्यकारी अधिकारियों को स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिये। जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का विभिन्न राज्यों में स्थानान्तरण होने पर उन्हें दो वर्ष के अंदर माध्यमिक स्तर तक स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिये। साथ ही बैंक मैनेजर ग्रामीण लोगों के साथ ठीक व्यवहार भी नहीं करते हैं। इनके पास धन की शक्ति है और गावों से गरीब लोग ऋण के लिए इनके पास आते हैं। इसलिए इन लोगों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है।

बैंकिंग आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिये जो मेधावी हो और जिनकी इस कार्य में रूचि एवं प्रवृत्ति हो। प्रवृत्ति का तात्पर्य उन व्यक्तियों का सामाजिक परिवर्तन, समाजवादी उद्देश्यों तथा समय की जरूरतों के प्रति वचनबद्ध होना है, यह मूल तथ्य की सार्थकता के लिए आवश्यक है।

जहां एक अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों आदि की नियुक्ति का सम्बन्ध है यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इन विशेषज्ञों की अर्थव्यवस्था के बारे में भिन्न-भिन्न विचारधारायें हो सकती हैं। अतः इनके चयन में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम विशेष प्रकार के अर्थशास्त्रियों का चयन करें जिनका सरकार की आर्थिक नीतियों में विश्वास हो।

बैंकों में जमा की जाने वाली रकम गिरती जा रही है। प्रत्येक बैंक शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलना चाहता है किन्तु ग्रामीण जनता के स्तर को ऊंचा उठाने की बात वे नहीं समझते हैं। उन्हें ग्रामीण बैंक स्थापित करने की व्यापक योजना बनानी चाहिये। ग्रामीण बैंक का तात्पर्य 5000 से 20,000 आबादी के लिए एक प्राथमिक बैंक से है जो इनको ऋण सुविधाएं प्रदान करे।

हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग गावों में रहते हैं जिनमें आदिवासी पिछड़े वर्गों, मुसलमान यदि वर्गों के लोग हैं और जब तक इन लोगों के जीवन स्तर को उठाया नहीं जाता है तब तक 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सार्थकता नहीं है।

विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन बैंकों के अलावा और भी जो बैंक हैं उन्हें भी बैंक सेवा आयोग के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि किसानों का शोषण करने के लिए बैंक प्रबन्धकों तथा बैंक कर्मचारियों के बीच सांठगांठ है। यह आरोप बिलकुल गलत है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ एक शक्तिशली संगठन है और बैंकों के कर्मचारियों ने ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से बहुत पहले राष्ट्रीयकरण का नारा दिया था और यह प्रत्येक बैंक कर्मचारी की जुबान पर था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। हम बार बार यही जोर देते रहे कि इन बैंकों को पूंजीपतियों और एकाधिकारियों के अधिकार से बाहर निकालिए क्योंकि ये बैंक इनके हाथ में अलादिन के चिराग की तरह हैं। वास्तव में बैंक कर्मचारी संघ के नेताओं का प्रबंधकों से संघर्ष होता रहा है। इसके विपरीत आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बद्ध संघ ने हड़ताल तोड़ने का प्रयत्न किया। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद भी श्रम मंत्री द्वारा बुलाई गयी बैठक में बैंक कर्मचारी संघ ने समयोपरि भत्ते में 50 प्रतिशत कसौटी करने का स्वयं ही निर्णय लिया। क्या यह देश की भावना नहीं है ? हो सकता है कि कुछ लोग प्रबन्धकों से मिले हुए हैं जिसका आम आदमी, किसान आदि पर असर पड़ता है। इनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

बैंकिंग उद्योग की शिखर संस्था एक द्विपक्षीय संस्था है और श्रम मंत्री तो केवल उसके एक सहयोगी सदस्य हैं। यदि प्रबन्धक और कर्मचारी इकट्ठे बैठ सकते है और सारे मामलों पर निर्णय ले सकते हैं तो जैसे कि कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया हैं द्विपक्षीय संस्था क्यों होनी चाहिए ? हमने हर उद्योग चाहे वह कपड़े का हो अथवा चीनी का हो, द्विपक्षीय संस्था की मांग की है और जहां कहीं भी कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच समझौता नहीं हो सका हमने मंत्री महोदय तथा सरकार से सहायता के लिए अनुरोध किया।

[श्री एस० एम० बनर्जी]

सीधी भर्ती का कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत किया गया है। किन्तु इससे गतिरोध बढ़ेगा और कर्मचारियों में काम करने का उत्साह कम होगा। रोजगार की दृष्टि से अच्छा यह है कि अधिक से अधिक बैंक खोले जायें। इसके अतिरिक्त उन बैंकों पर जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है समान नियम लागू होने चाहिये।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने हाल ही में यह आश्वासन दिया है कि वे अपनी पूरी योग्यता से लोगों की सेवा करेंगे। यदि किसी के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो उसकी जांच की जानी चाहिए। मैं अंत में सरकार से दोबारा अनुरोध करना चाहता हूं कि हम केवल द्विपक्षीय संस्था ही चाहते हैं।

श्री पी० के० घोष (रांची) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे भाई-भतीजा-बाद, पक्षपात और भ्रष्टाचार दूर होगा और उचित प्रकार के व्यक्तियों की भर्ती होगी।

अनुच्छेद 3(4) में यह व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य और कुछ राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए जो केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थापित अथवा समाप्त नहीं किया जायेगा। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए क्योंकि इससे सभी राज्य वालों को रोजगार का अवसर मिलेगा अन्यथा केवल स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता मिलेगी और अन्य लोग वंचित रह जायेंगे।

भारत सरकार ने सरकारी उपक्रमों में भर्ती सम्बन्धी जो नीति बनाई है वही बैंकों में भी लागू होनी चाहिए। यही कारण है कि बैंकों में पक्षपात और भाई-भतीजावाद चल रहा है। इनमें अनुसूचित जनजातियों के बहुत कम लोगों को रोजगार मिलता है। प्रत्येक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में एक क्षेत्रीय बैंक होना चाहिए। जिससे उन्हें भी बैंकों में रोजगार मिल सके।

जहां तक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के रोजगार का सम्बन्ध है, इनका प्रतिशत बहुत कम है। यद्यपि इनके लिए विधेयक में आरक्षण की व्यवस्था है यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनको उचित अवसर प्रदान किये जायें साथ ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भी आयोग का सदस्य बनाया जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों के हितों के ध्यान में रखने के लिए अल्पसंख्यकों के समुदाय का भी एक व्यक्ति इस आयोग का सदस्य होना चाहिए क्योंकि अधिकांश मामलों में देखा गया है कि अल्पसंख्यकों को बैंकों में रोजगार प्राप्त करने के अवसर नहीं मिलते।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कार्यकुशलता बहुत घटी है। ग्राहकों को तंग किया जाता है और उन्हें चैक का पैसा लेने के लिए घंटों इन्तजार करना पड़ता है। अतः बैंकों के कार्यकरण को सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बैंक के कर्मचारी ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करें।

बैंकों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, ऐसा बताया गया है कि ऋण स्वीकृत करने के लिए कुछ रुपया देना पड़ता है यहां तक कि बस के लिए ऋण स्वीकृत कराने के लिए 10,000 रुपया तक देना पड़ता है। इसी प्रकार मिनी बस के लिए ऋण लेने में भी रुपया देना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि बैंकों के कार्यकरण के बारे में उचित सतर्कता बरती जानी चाहिए अन्यथा राष्ट्रीयकरण का सारा उद्देश्य अर्थहीन हो जायेगा।

मेरा सुझाव है कि रेलवे की तरह बैंकों को प्रत्येक शाखा में एक 'जनता की शिकायत की पुस्तक' होनी चाहिए और जब भी कोई शिकायत हो वह इस पुस्तक में दर्ज की जानी चाहिए और प्रबन्धकों को उस पर तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक सतर्कता दस्ता भी होना चाहिए जो शिकायत पुस्तक में दर्ज शिकायतों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि सतर्कता दस्ता बैंक द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट न हो तो उसे बैंक के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए लिखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं

श्री कार्तिक उराँव (लोहारडगा) : महोदय मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। मैंने हमेशा ही सरकारी क्षेत्र में सेवा आयोग का समर्थन किया है। अब तक का यह अनुभव रहा है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में भर्ती पदोन्नति तथा बर्खास्तगी के बारे में एक जैसे नियम नहीं रहे हैं। बैंक सेवा का भी यही हाल रहा है। बैंकों में बैंक कर्मचारियों के बच्चों तथा रिश्तेदारों की अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से भी अधिक संरक्षण मिलता रहा है। लगभग सभी बैंकों में पक्षपात भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अतः बैंककारी सेवा आयोग की रचना एक अच्छा कदम है। आशा है कि बैंकों में व्याप्त बुराइयां दूर की जायेंगी और जिस प्रयोजन के लिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है वह पूरा होगा।

इस सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आयोग के सदस्यों एवं सभापति का उचित चयन किया जाये और यह चयन राजनीतिक आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उनमें निष्ठा, कुशलता होनी चाहिए और उन्हें सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अतः उनकी नियुक्ति के बारे में पूरी सतर्कता बरती जानी चाहिए। क्योंकि साधन का ठीक होना साध्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। विधेयक के खण्ड 4(2) में आयोग के सदस्यों और सभापति की नियुक्ति के बारे में योग्यता आदि सम्बन्धी जो शर्तें हैं उनसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का लिया जाना अप्रत्यक्षरूप से अलग रखा गया है सभापति बनने का तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। अतः उनकी योग्यता, निष्ठा आदि के अतिरिक्त इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि उनमें समाज के कमजोर वर्गों को उठाने की भावना भी हो जिससे कि वे निचले स्तरों पर अल्पसंख्यकों तथा अन्य वर्गों के लोगों को भी नियुक्त करें। किन्तु यह सुनिश्चित करना कठिन है कि उनकी वास्तव में ऐसी भावना है। अतः मेरा सुझाव है कि खण्ड 4(2) में बैंककारी सेवा आयोग में तथा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग का एक सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए। यह सदस्यों की संख्या बढ़ाकर भी किया जा सकता है। किन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य के चयन में भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी जाति के प्रति जागरूक हो।

यद्यपि इस विधेयक में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है किन्तु मुझे विश्वास है कि खण्ड 4(2) में संशोधन किये बिना यह क्रियान्वित नहीं होगा जीवन बीमा निगम में ऐसा हुआ है। अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य तिवेन्द्रम

[श्री कार्तिक उरांव]

में नियुक्त किया गया किन्तु अन्ततः उसे कार्यभार लेने नहीं दिया गया और दूसरे प्रभाग से एक व्यक्ति नियुक्त किया गया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के ध्यान में यह लाया गया कि डाक और तार विभाग में प्रथम श्रेणी के एक पद पर अनुसूचित जनजाति का एक गलत व्यक्ति नियुक्त किया गया जिसकी बाद में जांच करने पर यह बात सत्य पायी गई। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार की दो लड़कियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई जब कि वे वास्तव में अनुसूचित जनजाति की नहीं थीं।

इन बुराइयों को दूर तभी किया जा सकता है जब आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य हो अतः विधेयक में इसके लिए व्यवस्था होनी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा पूरा भरा जाता है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। अतः मेरा सुझाव है कि आदिवासी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जायें तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को नीति निर्धारण निकाय से सम्बद्ध किया जाना चाहिए; जब तक इस सुझाव को कार्यरूप नहीं दिया जाता तब तक आयोग की स्थापना सरकार की मान्य नीतियों के अनुरूप नहीं होगी।

आयोग को प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए स्पष्ट रूप से मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। इसे इस ढंग से कार्य करना चाहिए ताकि यह देश के अन्य वर्तमान सेवा आयोगों के लिए आदर्श तथा प्रेरणा का स्रोत बन सके। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री डी० वसुपतारी (कोकराझार) : मैं मंत्री महोदय को इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं। सरकार ने सभी बैंकों तथा सरकारी उपक्रमों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इस समिति ने जब एयर इंडिया की सर्व प्रथम जांच की तो उसके सभापति का हमारे प्रति जो दृष्टिकोण था उससे हमें उनसे कहना पड़ा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे राष्ट्रीय सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। कई बैंक जो पहले आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, बाद में हमारे कहने पर सिद्धान्त रूप में आरक्षण के लिए सहमत हुए। पर इसके बाद उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने का बहाना बनाया जाने लगा। लेकिन प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अच्छी शैक्षणिक योग्यता वाले प्रत्याशियों की कमी नहीं है। पर मुझे पता चला है कि अनुसूचित जाति में एम० ए० प्रथम श्रेणी के प्रत्याशी भी बैंकों में नहीं लिए जाते और कहा जाता है कि वे इस नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए इस समय देश में चार पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा केन्द्र चल रहे हैं। इससे इन लोगों की कार्यक्षमता बढ़ी है और अब वे भा० प्रा० सेवा/भा० पु० सेवा परीक्षाओं में बेहतर योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। पर इस जाति के विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा नहीं मिल पाती। वे अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिये वे पब्लिक स्कूलों में पढ़े के आये हुए छात्रों के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं। अतः हमने सभी विभागों और सरकारी क्षेत्र के संगठनों को कहा है

कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए पृथक् परीक्षा की व्यवस्था करें। अब नियुक्ति करने वाले अधिकारियों ने इस सुझाव को मान लिया है। पर बैंकों में अभी यह व्यवस्था नहीं है। मैं आशा करता हूं कि बैंकिंग संस्था की इस नियम का अनुपालन करेगी। मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर तीन वर्ष की अवधि में इन जातियों की नियुक्तियां हो जायें।

मेरा दूसरा सुझाव यह हैं कि संशोधन विधेयक के खण्ड 4(1) में रूपभेद किया जाये और कुल 8 सदस्यीय आयोग में दो सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से शामिल किये जायें। संघ लोक सेवा आयोग में भी एक सदस्य अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित जनजाति का है। आशा है कि यह आयोग भी इस उदाहरण का अनुकरण करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षण के अनुरूप भर्ती करने के पीछे रह गये है। इस सम्बन्ध में दो या तीन वष की अवधि निश्चित की जानी चाहिए जिसके भीतर बैंकों में सभी आरक्षित पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी दायित्व पूरा किया जाना चाहिये।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : इस चिरपरीक्षित विधेयक को लाने के लिए मैं उपमंत्री का धन्यवाद करता हूं। अप्रैल, 1972 में 206 संसद् सदस्यों ने लिखा था कि बैंकों में भर्ती नीति का अध्ययन करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये। अब उनकी आवाज सुनी गई है, इस आयोग की नियुक्ति से भर्ती सम्बन्धी कुछ स्वस्थ परम्परायें स्थापित होंगी।

बैंककारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि भारतीय बैंकों द्वारा क्लर्कों की भर्ती के सम्बन्ध में पहले जो नीतियां अपनाई जाती थी उनका वैज्ञानिक आधार नहीं था चयन के समय योग्यता और क्षमता का उचित मूल्यांकन नहीं होता था। भर्ती के मामलों में प्रायः रिश्तेदारी, जाति, सगुदाय और सिफारिश का बोलबाला होता था। वर्ष 1969 और 1972 के बीच राष्ट्रीयकृत बैंकों में लगभग 85,000 व्यक्तियों की भर्ती बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा तथा सामान्य भर्ती नियमों के आधार पर की गई है। क्या इस प्रक्रिया को बदला जायेगा? यदि नहीं तो आपका उन स्नातकों के प्रति क्या जवाब है जिनका बैंक में कोई रिश्तेदार नहीं है और उनके पास उपयुक्त 'योग्यतायें' नहीं हैं। यह एक गम्भीर प्रश्न है।

मेरा सुझाव है कि बैंकों में नौकरी के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। इसकी अपेक्षा क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान जरूरी होना चाहिए क्योंकि बैंकों के अधिकांश ग्राहक अंग्रेजी से परिचित नहीं होते और केवल क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं। इसके अलावा आज देश में अनेक स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती और वे राष्ट्रीयभाषाओं में परीक्षाएं पास करके आते हैं। उन्हें इस आधार पर अयोग्य घोषित न किया जाये कि वे अंग्रेजी नहीं जानते।

अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये पृथक् परीक्षा लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए अन्यथा उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलने की आशा नहीं की जा सकती है। इन जातियों के लोगों को द्रुत कार्यक्रम के आधार पर बैंकों में रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण

[प्रो० नारायण चन्द्र पराशर]

केन्द्र खोले जाने चाहिए जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस की परीक्षा के सम्बन्ध में किया जाता है । कमजोर वर्गों को भी बैंकों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले इसके लिये सक्रिय कदम उठाये जाने चाहिए जिससे कि वे यह महसूस करें कि उन्हें अपना उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है ।

एक माननीय सदस्य ने बताया है कि एक बहुत ऊंचे पद वाला अधिकारी आनन्द मार्ग से सम्बन्धित है । ऐसे अधिकारी को नौकरी से हटाने में आपके सामने क्या कठिनाई है ? आपने उसके खिलाफ क्या कायवाही की है ? कानून के अधीन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए । यदि किसी व्यक्ति का सम्बन्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या आनन्द मार्ग जैसे प्रतिबन्धित संगठनों से है तो उसे आयोग का सदस्य बनने से वंचित रखा जाये । आयोग का उन ईमानदार व्यक्तियों को ही सदस्य बनाया जाये जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध हैं ।

विधेयक में व्यवस्था है कि बैंककारी आयोग के आधे सदस्य बैंक उद्योग के होंगे । यदि आप चयन के लिए विशेषज्ञों को सम्बद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें सलाहकार के रूप में लिया जा सकता है । पर यह दलील कि वे ही लोग, जिनका बैंककारी संस्थाओं से सम्बन्ध है, बैंकों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं, ठीक नहीं है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जो कि आज बैंकों में व्याप्त हैं जहां जाति, समुदाय, रिश्तेदारी आदि के आधार पर चयन हो रहा है । यह उपबन्ध अवांछनीय है । इसे यथाशीघ्र हटा दिया जाना चाहिए ।

भूतपूव सैनिकों के लिए क्या व्यवस्था की गई है ? अब उन्हें 'अन्य वर्ग' में शामिल किया गया है । उन्हें भी विशिष्ट वर्ग में रखा जाना चाहिए । तथा अनुसूचित जातियों की भांति उनके लिए भी बैंकों में पद आरक्षित किये जाने चाहिए ।

यह भी कहा गया है कि विधेयक के उस खण्ड को समाप्त कर दिया जाये जिसमें अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने की व्यवस्था है । पर इसे हटाया नहीं जाना चाहिए । यदि बैंककारी विभाग के किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र या पुत्री को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिए । यहां 'मृत्यु' के अलावा "स्थायी अशक्तता" शब्द भी जोडे जाने चाहिए ।

मैं इस तथ्य पर बल देना चाहता हूं कि भारत के प्रत्येक राज्य का बैंककारी ढांचे में अपना क्षेत्र होना चाहिए । जब उसकी अपनी विधान सभा है, उच्च न्यायालय है, लोक सेवा आयोग है तो उसका अपना क्षेत्रीय बैंककारी कार्यालय भी होना चाहिए ।

बैंकों के पदों में स्थानीय लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । प्रत्येक पद के लिए अखिल भारतीय संवर्ग नहीं बनाया जाना चाहिए । भर्ती सम्बन्धी नीति में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले ।

बैंकों में जो भर्ती की जाये उसके बारे में प्रति वर्ष इस सभा को रिपोर्ट किया जाये, जिसमें बैंकों के कर्मचारियों के राज्यवार आंकड़े भी दिये जायें जिससे कि जनता और उसके प्रतिनिधियों को इस बात का पता चल सके कि उनके राज्य के लोगों की बैंकों में भर्ती की गई है तथा भर्ती करने की पिछली परम्परा सदा के लिये खत्म कर दी गई हैं ।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek): I welcome this Bill. The banking industry had been under the control of capitalists in this country. Bank deposits were also utilized by these capilalists for their own purposes. They employed their own kith and kin in banks. This bill is important because it aims at changing that position.

Appointments in the banks are made by calling lists of name of candidates from the employment exchanges. Employment Officers include in these lists the names of the persons in whom they are interested. Authorities in the banks are also in collusion with the employment officers. Such malpractices should not be allowed after this Bill is passed.

Social and political workers should be given representation in the Banking Service Commission. The representatives of sheduled tribes should be included in the Commission. Economic experts along with the persons from banking industry should also be there. Commissions should also be set up on regional basis. Bank employees should be imparted training in public dealing.

Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi): There cannot be two opinions that the nationalized banks have to play an important role in the economic structure of our country. Before nationalization, banks concentrated their attention on industry, business and commerce. They paid no attention to the needs of rural areas. Since nationalization, activities of banks have expanded considerably. The number of branches of banks have increased from 8 thousand to 18 thousand during the period of six years. It is gratifying that about 50 per cent of the new branches have been opened in rural areas. There is need to open more branches in those areas where banking facilities are not available. These facilities are needed more in the backward areas. Special attention will be paid to their needs.

It is not enough that more and more branches are opened. Sense of devotion to duty among those operating the banks is of utmost importance. It is with a view to inculcating sense of devotion to duty and increasing efficiency of the bank employees that training of employees of nationalized banks on a regular basis has been taken in hand. More and more employees are being trained each year. The number of officers and staff receiving training has been going up from year to year. 21,704 officers and 34,499 clerks will receive training during 1975.

The Banking Service Commission will basically be modelled on the pattern of the U.P.S.C. and in accordance with the recommendations of the Planning Commission. The employment needs of the people belonging to S.C. and S.T. will also be kept in view. The suggestions made by honourable Members in regard to working, composition etc., of the Commission will receive due consideration.

It is proposed to make only 25 per cent dircet recruitment through the Banking Service Commission with the object of inducting fresh blood in the banks. It does not mean that the chances of promotion of class III and class IV employees will be affected. It is hoped that this Bill will help in the efficient functioning of nationalized banks and we will be able to acheive the objectives with which we have nationalized the banks.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय बैंककारी संस्थाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए कार्मिकों के चयन के लिये आयोग की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे । खण्ड 2 पर संशोधन है, संशोधन संख्या 3 और 4 ।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 2, पंक्ति 15,-- " constituted under', (के अधीन गठित)

के स्थान पर "as defined in " (में यथा परिभाषित) **प्रतिस्थापित किया जाये** (संख्या 3) ।

पृष्ठ 2

पंक्ति 16 **के पश्चात्**

'(hh)' "regulation means regulation made under this Act ("विनिमय' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत है) **अन्तःस्थापित किया जाये** (सं० 4)

(श्रीमती सुशीला रोहतगी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित, रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

सभापति महोदय : खण्ड 4 पर संशोधन सं० 5, 6 और 7 हैं ।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 2, पंक्ति 41,—

" or any other matter " (या किसी अन्य विषय) **के स्थान पर**

"or in any other matter" (या किसी अन्य विषय में) **प्रतिस्थापित** किया जाये (सं० 5) ।

पृष्ठ 2, पंक्ति 45,—

"experience of" (का अनुभव) के **स्थान पर**

"such experience for" (के लिये ऐसा अनुभव **प्रतिस्थापित** किया जाये (सं० 6) ।

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,—

"This Section" (इस धारा) **के पश्चात्** "and of section 5"

(और धारा 5) **अन्तःस्थापित** किया जाये (सं० 7) ।

(श्रीमती सुशीला रोहतगी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, as amended, was added to the Bill

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 6 लेते हैं । मंत्री महोदय का एक संशोधन है, संख्या 8 विधेयक में बहुत अधिक संशोधन है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,—

"functioning as" (के रूप में कृत्य करने पर) **के पश्चात्**

"the Chairman or" (अध्यक्ष या) **अन्तःस्थापित** किया जाये (सं० 8) ।

(श्रीमती सुशीला रोहतगी)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6, as amended, was added to the Bill

खण्ड 7

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 8 and 9 were added to the Bill

खण्ड 10

सभापति महोदय : इस खण्ड पर एक संशोधन है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 19 से 24 **के स्थान पर** यह **प्रतिस्थापित** किया जाये (सं 9)

"Duty of Commission to hold competitive examinations for appointment to posts in public sector banks.

10(i) It shall be the duty of the Commission to conduct examinations for appointments in each public sector banks to—

(a) posts in the clerical and allied cadres and the Junior Officers' cadre, and

(b) such other posts of, or posts in the cadre of, officers as the Central Government may, by notification, specify."

[पब्लिक सेक्टर बैंकों में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं संचालित करने के लिए आयोग का कर्तव्य

10 (1) आयोग का कर्तव्य प्रत्येक पब्लिक सेक्टर बैंक में—

(क) लिपिकिय और सहबद्ध काडर और कनिष्ठ अधिकारी काडर के पदों पर, तथा

(ख) अधिकारियों के ऐसे अन्य पदों या उनके काडर में ऐसे पदों पर, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,,

नियुक्तियों के लिये परिक्षाओं का संचालन करना होगा ।]

(श्रीमती सुशीला रोहतगी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, में संशोधित रूप, में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 10, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गय

Clause 10, as amended, was added to the Bill

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 11, was added to the Bill

खण्ड 12

सभापति महोदय खण्ड 12 पर संशोधन हैं।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 34 से 44, के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये (सं० 10) ।

"Duty of public sector bank to communicate to the Commission of number of vacancies.

12. It shall be the duty of every public sector bank to communicate to the Commission—

(a) all the vacancies in the clerical and allied cadres, or in such other post or cadre as may be specified by the Central Government under section 10, and

(b) twenty-five per cent of the estimated total number of vacancies in the junior officers' cadre.

which are likely to occur during the unexpired portion of the calendar year in which this Act comes into force and thereafter, as soon as may be, after the commencement of each calendar year:

Provided that, in relation to the junior officers' cadre, the Central Government may, if it is of opinion that it is necessary so to do in the interests of the public sector banks, by notification, raise the percentage of vacancies to be communicated to the Commission to thirty-three and one-third per cent.".

(आयोग को रिक्तियों की संख्या संसूचित करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों का कर्तव्य ।

12. प्रत्येक पब्लिक सेक्टर बैंक का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग को—

(क) लिपिकीय और सहबद्ध काडरों में या ऐसे अन्य पद या काडर में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10, के अधीन विनिर्दिष्ट किये जायें, वे सभी रिक्तियां, और

(ख) कनिष्ठ अधिकारियों के काडर में अनुमानित रिक्तियों की उस कुल संख्या की पच्चीस प्रतिशत रिक्तियां,

संसूचित करेगा, जो उस कलैण्डर वर्ष के, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, अनवसित प्रभाग के दौरान सम्भाव्य हैं और उसके पश्चात प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के आरम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र, उस कलैण्डर वर्ष के दौरान सम्भावित रिक्तियां संसूचित करेगा।

परन्तु कनिष्ठ अधिकारियों के काडर के संबंध में, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह अधिसूचना द्वारा आयोग को संसूचित की जाने वाली रिक्तियों के उक्त प्रतिशत को तैंतीस सही एक बटा तीन प्रतिशत तक बढ़ा सकेगी।)

पृष्ठ 6,—

Omit Lines 1 to 4

(पंक्ति 1 से 4 का **लोप,** किया जाये) (सं 11)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 10 के **पश्चात्** यह **प्रतिस्थापित** किया जाये (सं 12)

"*Explanation.*—In this Act, the expression "Vacancy" includes a newly created post which has not been filled in."

(**स्पष्टीकरण**— इस अधिनियम में "रिक्त" अभिव्यक्ति में वह नवनिर्मित पद शामिल है जो भरा नहीं गया है।)

(श्रीमती सुशीला रोहतगी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 12 , संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 12 as amended, was added to the Bill

खण्ड 13

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 13, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 was added to the Bill

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 14 was added to the Bill

खण्ड 15

सभापति महोदय : इस खण्ड पर संशोधन है ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 6, पंक्ति 43,—

"Communicated" (संसूचित) **के स्थान पर** "requires to be communicated" (संसूचित की जानी है)

प्रतिस्थापित किया जाये (सं 13),

(श्रीमती सुशीला रोहतगी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 15, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 15, as amended, was added to the Bill

खण्ड 16

सभापति महोदय : खण्ड 16 पर संशोधन है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 8,–

"other" (अन्य) का **लोप** किया जाये (सं 14)

(श्रीमती सुशीला रोहतगी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 16, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 16, as amended, was added to the Bill

खण्ड 17–28

सभापति महोदय : खण्ड 17 से 28 पर कोई संशोधन नहीं हैं, मैं इन्हें मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 से 28 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 17 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 17 to 28 were added to the Bill

खण्ड 29

सभापति महोदय : खण्ड 29 पर संशोधन है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 9, पंक्ति 25,—

"1974' के स्थान पर "1975" प्रतिस्थापित किया जाये (सं० 15)

(श्रीमती सुशीला रोहतगी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 29, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 29, as amended, was added to the Bill

खण्ड 30 से 33

सभापति महोदय : खण्ड 30 से 33 पर कोई संशोधन नहीं है। मैं इन्हें मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 30 से 33 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 30 से 33 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 30 to 33 were added to the Bill

खण्ड 1

सभापति महोदय : खण्ड 1 पर संशोधन है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"1974" के **स्थान पर** "1975"

प्रतिस्थापित किया जाये (सं० 2)

(श्रीमती सुशीला रोहतगी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

सभापति महोदय : अधिनियमन सूत्र पर संशोधन है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

Twenty Fifth" (पच्चीसवां) के **स्थान पर**

Twenty Sixth" (छब्बीसवां) **प्रतिस्थापित** किया जाये (सं० 1)

(श्रीमती सुशीला रोहतगी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

The enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The title was added to the Bill

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक

EMPLOYEES STATE INSURANCE (AMENDMENT) BILL

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 में उससे संसक्त स्पष्टीकारक उपबन्ध समाविष्ट करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों को अस्वस्थता, प्रसूति तथा काम के दौरान लगी चोट और इनसे सम्बद्ध अन्य मामलों में कुछ लाभ देने की व्यवस्था है । इस अधिनियम के अन्तर्गत बीमा-शुदा व्यक्तियों के परिवारों को उत्तरोत्तर चिकित्सा सुविधा दी जा रही है । यह अधिनियम आखीरी बार 1966 में संशोधित किया गया था । कर्मचारी राज्य बीमा योजना समीक्षा समिति, 1966 तथा प्राक्कलन समिति ने इस अधिनियम में और संशोधन करने की कई सिफ़ारिशें की हैं, जो विचाराधीन हैं । पर इस समय मैं कुछ बहुत ही जरूरी किस्म के प्रस्ताव इस विधेयक में संशोधन करने हेतु, इस सभा के समक्ष लाया हूं ।

यह अधिनियम बिजली-चालित उन सभी गैर-मौसमी कारखानों पर लागू होता है जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं । इस समय वे ही व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं जिनकी मजदूरी 500 रु० से अनधिक है । पर यह सीमा बहुत कम है । इस सीमा में वृद्धि करने की जरूरत है । कर्मचारी राज्य बीमा योजना पुनर्विलोकन समिति, 1966 ने भी मजदूरी की सीमा बढ़ाकर 1000 रु० करने की सिफ़ारिश की है ताकि 1000 रु० वेतन पाने वाले कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकें । इस सिफ़ारिश को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्वीकार कर लिया है । मजदूरी सीमा में इसके अनुरूप ही वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

इस प्रस्तावित वृद्धि के फलस्वरूप अधिनियम की प्रथम अनुसूची में अंशदान और लाभ की तालिका में संशोधन करना होगा । कर्मचारियों के अंशदान की छूट के लिए मजदूरी सीमा बढ़ा दी गई है । अब 1.50 रु० की बजाय 2.00 रु० प्रति दिन मजदूरी पाने वाले कर्मकारों को अंशदान से छूट होगी ।

[श्री रघुनाथ रेड्डी]

इस अधिनियम में जो शास्तिक उपबन्ध है वे कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। मालिकों से वसूल की जाने वाली बकाया रकम बढ़ती जा रही है। इस वद्धि की इस सदन में और बाहर आलोचना हुई है। अंशदान की अदायगी न करने पर अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था इस विधेयक में की जा रही है।

1952 में दिल्ली और कानपुर दो केन्द्रों में आरम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत केवल 1.5 लाख कर्मकार थे। अब इसके 376 केन्द्र हैं तथा 49.17 लाख कर्मकार इसके अन्तर्गत आते हैं। अब बीमाशुदा व्यक्तियों समेत 1 करोड़ 90 लाख व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

निगम ने हाल ही में इस योजना को कुछ नये क्षेत्रों में लागू करने का भी निश्चय किया है। यह कार्य पांच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से पूरा किया जायेगा। 1974–75 में इन क्षेत्रों में लगभग $1\frac{1}{2}$ लाख कर्मकार इस योजना के अन्तर्गत लाये गये हैं। आशा है 1975–76 में यह संख्या 3 से 4 लाख तक पहुंच जायेगी। राज्य सरकारें कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सलाह से इस योजना को बैंकों, बीमा कम्पनियों, खानों, बागानों से भिन्न रोजगार के नये क्षेत्रों में लागू करने का प्रयास कर रही हैं। इस योजना का बैंकों, बीमा कम्पनियों, खानों और बागानों पर अगले चरण में लागू किया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत है :

> "कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 में उससे संसक्त स्पष्टीकारक उपबन्ध समाविष्ट करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

डा० रानेन सेन (बारासाट) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। श्रमिक वर्ग ऐसे विधेयक की पिछले 10 वर्षों से मांग करता आया है, जो कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ पहुंचाने में वास्तविक रूप से सहायक सिद्ध हो। लेकिन इस संशोधी विधेयक से श्रमिकों को इतना संतोष और लाभ नहीं होगा और न ही इससे पूर्ण संशोधन की उनकी मांग ही पूरी होगी। प्राक्कलन समिति तथा कुछ अन्य निकायों ने इसमें संशोधन के सुझाव दिये हैं। लगभग दो वर्ष पहले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्वयं कुछ सुझाव दिये थे। पर सरकार ने उन्हें अभी तक स्वीकार नहीं किया है। इनमें से कुछ सुझाव इस विधेयक में भी शामिल नहीं किये गये हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि मंत्री जी ने यह विधेयक पेश करके एक निर्भीक कदम उठाया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। 1000 रु० तक का वेतन पाने वाले व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाये जायेंगे। इससे श्रमिकों की अनेक शिकायतें दूर हो जायेंगी।

विधेयक के खण्ड 4 द्वारा अधिनियम की धारा 85 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस संशोधन से यह उपबन्ध किया जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन से काटे गये अंशदान की राशि मालिकों द्वारा जमा न किये जाने पर 6 मास तक की सजा दी जा सकेगी पर यह सजा तीन मास से कम नहीं होगी। यह एक निर्भीक उपबन्ध है तथा सामयिक और उचित है। इस खण्ड के दूसरे उपबन्ध भी सराहनीय हैं पर इसका परन्तुक अनावश्यक है। यह उक्त उपबन्ध के बिल्कुल विपरीत है। इसकी कानूनी जटिलताएं क्या होंगी ? मंत्री जी इसे स्पष्ट करें।

नई धारा 85-ग इस अधिनियम में जोड़ी जा रही है जिसके अनुसार नियोजक अंशदान की बकाया राशि अदा करने पर मुक्ति पा सकेगा। इसके लिए जुर्माने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

इन सब बातों के होते हुए भी यह एक बहुत अच्छा विधेयक है जो सरकार के निर्भीक कदमों का द्योतक है। आशा है कि श्रमिक वर्ग इसका स्वागत करेगा।

Shri Ram Singh Bhai (Indore): The Employees State Insurance Scheme was introduced in 1948. We were very happy because we thought that Government had taken over a very big responsibility. It is indeed a very good scheme. The workers got several amenities and benefits under this scheme. They get medical leave with pay, medical care is intended to their family, accident benefits are available to them. But unfortunately it has not been properly implemented. The Labour Ministry has shown carelessness in regard to its implementation.

The contribution of the workers has been raised, but the responsibility of proper implementation of the scheme has not been entrusted to a single body. On the one hand there is Benefit Council in the corporation and on the other the administration thereof is the responsibility of the State Government. There also the labour and Health Departments share this responsibility. But in the absence of proper coordination between these departments there is mismanagement in the hospitals.

Under this scheme, good hospitals had been set up in the beginning. But today we find that these hospitals are without doctors. Even medicines are not available there. An ailing worker has to go to private doctor for treatment. Therefore, there is great need for improving the working of this scheme.

It is very unfortunate that the amount of contribution deducted from the workers' wages has not been deposited with the Government. Still, no action has been taken against the defaulting employers. No doubt, there is a provision of six months' imprisonment for default, but not a single factory owner has been sent to jail since 1949.

In case the owners do not deposit the amount deducted from the salaries of workers with the Government, it is the workers who are deprived of the benefits under this scheme. Then, what is the use of such a scheme? If there has been no such scheme, the workers would have settled the matter with the owners in the open field. The workers are being befooled. It is high time that the Labour Department takes some concrete steps to see that the workers are not deprived of the benefits to which they are entitled to under this scheme. After all, it is the Labour Department which is responsible for the welfare of the workers.

My submission is that all these labour laws and schemes formulated for the benefit of the workers should be strictly implemented and it should be ensured that these poor people receive due benefit of these schemes. Time and again, I have been requesting the concerned departments on their related issues, but the only reply received is that 'the matter is under consideration'

The Government have a proposal for labour participation. But this will also meet the same fate. Only a few persons will be benefited and most of the workers will not get anything. Without direct contact with the workers, there is exploitation by the agents functioning as middlemen between the Government and workers.

[Shri Ram Singh Bhai]

So far as this Bill is concerned, it is very controversial one. This small amendment will not serve the purpose. There is need to amend all the other relevant labour laws. Such as the Labour Compensation Act and the Payment of Wages Act. So long as this is not done, the workers are not going to be benefited much by the Prime Minister's 20-point programme.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं इस संशोधी विधेयक का स्वागत करता हूं। बहुत से मिल मालिक कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी से अंशदान काटते आ रहे हैं पर वे उस रकम को कई वर्षों तक उनके खाते में जमा नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में कानूनी कठिनाई यह है कि ऐसे मामलों को इस अधिनियम के अधीन तब तक न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है जबतक कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उनकी लिखित रूप में शिकायत नहीं करता। हमारा समाज अब भी निहित स्वार्थों और मिल-मालिकों से प्रभावित है। बड़े-बड़े अधिकारी भी इस नये मामलों में उनसे मिले रहते हैं। इस नये विधेयक के उपबन्ध के अनुसार अब चूक करने वाले मिल मालिकों को अनिवार्यतः तीन मास के लिये जेल जाना पड़ेगा। जुर्माना तो देना ही पड़ेगा।

इस विधेयक में एक अन्य सराहनीय उपबन्ध किया जा रहा है। इसके खण्ड 9 में व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति यदि कर्मचारी के वेतन से काटे गये अंशदान की रकम को कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा करने में असफ़ल रहता है तो यह माना जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 के अन्तर्गत अपराध किया है। अर्थात् इस प्रकार का कृत्य धन के 'गोलमाल' का अपराध माना जायेगा।

श्री एच० के० एल० भगत पीठासीन हुए

[SHRI H. K. L. BHAGAT *in the Chair*]

इस दिशा में इस नये खण्ड का अन्तःस्थापन एक उचित कदम है। परन्तु धारा 405 के अन्तर्गत जो अपराध है वही अपराध धारा 85 के अन्तर्गत भी है अर्थात् एक ही कार्य के लिए अधिनियम के अन्तर्गत दो अपराध हो रहे हैं और एक ही अपराध कार्य के लिए अपराधी पर दो जुर्म लगेंगे। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का दोहरापन नहीं होना चाहिए।

विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि निश्चित समय में अथवा दोषसिद्धि के बाद बढ़ाए गये समय में मालिक वह राशि देने में असफ़ल रहता है तो वह एक अपराध करता है और धारा 85 के अन्तर्गत दोषी माना जाएगा। मालिक कितनी बार यह अपराध कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि काटे गये धन की बकाया राशि पर बैंक दर से अधिक दर पर ब्याज लिया जाये। ऐसी स्थिति में मालिक को राशि बकाया रखने में कोई प्रसन्नता नहीं होगी क्योंकि उसे बढ़ी हुई दर से ब्याज देना पड़ेगा जो बाजार दर और बैंक दर से अधिक होगी।

इसके अतिरिक्त उस प्रतिष्ठान अथवा कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा साधनों से बकाया राशि वसूल की जानी चाहिए। इससे भुगतान में सुविधा होगी। उत्पादन शुल्क, विक्रय शुल्क अथवा अन्य सरकारी शुल्कों की बकाया राशि को काट कर कर्मचारियों को जो देय राशि होती है वह पहले काट ली जानी चाहिए और इन प्रतिष्ठानों की सम्पत्ति सम्बद्ध की जानी चाहिए। केवल इस प्रकार से ही बकाया राशि वसूल हो सकेगी। केवल कानून बनाने से ही यह काम नहीं हो सकेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा): यह विधेयक एक अधूरा उपाय है फ़िर भी इससे मजदूरी बढ़ी है और कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ के हकदार हो गये हैं साथ ही रुपया इकट्ठा करने के सम्बन्ध में और सख्ती की गई है ।

इस विधेयक के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराध के लिए 3 मास की सजा और 500 रुपये जुर्माना किया जा सकता है । किन्तु इस सब पर इस उपबन्ध से पानी फ़िर गया जबकि यह कहा गया है कि यदि न्यायालय किसी पर्याप्त अथवा विशेष कारण से चाहे तो कम समय की सजा अथवा सजा के बदले केवल जुर्माना कर सकता है । यह उपबन्ध नहीं होना चाहिए । मैं यह पूछनाचाहता हूं कि इस सम्बन्ध में नितान्त न्यूनतम की कैसे आवश्यकता हो गई है । इसका कारण यह है कि न्यायालयों का दृष्टिकोण सख्ती का नहीं रहा है और लोग बरी होते रहे हैं । अब संसद् तथा विधान सभाएं चाहती हैं कि न्यायालयों का विशेष दृष्टिकोण हो । उन्होंने धनी व्यक्तियों को सजा देने में हिचकिचाहट दिखाई है विशेषरूप से आर्थिक कानूनों तथा श्रमिक कानूनों के उल्लंघन के बारे में ऐसा किया गया है । अत: विधानमण्डलों ने यह उचित समझा है कि न्यायालयों को यह सजा देने के लिये मजबूर किया जाये । और न्यायालयों को इस सम्बन्ध में रियायत देने की कोई गुंजाइश न रहे । यह उपबन्ध भविष्य निधि अधिनियम में है किन्तु उपदान अधिनियम से यह हटाया गया है । कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत भविष्य निधि के बारे में अदालत को यह विवेक नहीं दिया जाना चाहिए ।

जहां तक मालिक द्वारा देय अंशदान का भुगतान करने की असफ़लता का प्रश्न है और विधेयक में आगे और किये गये अपराधों के लिए विधेयक में यह उपबन्ध है कि "यदि इस नियम के अन्तर्गत भुगतान किये जाने वाले किसी अंशदान का भुगतान करने में असफ़ल रहने के बाद में किये गये ऐसे अपराध", यह समझ में नहीं आता है कि 'किसी' शब्द को यहां क्यों रखा गया है यदि इसे हटा दिया जाये तो उपबन्ध अधिक सामान्य हो जायेगा ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं आपकी सलाह लूंगा और एक संशोधन विधेयक पेश करूंगा ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि वे आपकी सलाह लेंगे और एक संशोधन विधेयक पेश करेंगे ।

श्री सी० एम० स्टीफन: मैं उनका आश्वासन मानता हूं । मेरा निवेदन यह है कि अकेला श्रम मंत्रालय ही नहीं वरन पूरी सरकार इस आपात स्थिति के दौरान इस ओर ध्यान दे तथा उन अपराधों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जो गरीब कर्मचारियों के विरुद्ध किये गये हैं । इस सम्बन्ध में कठोरता अपनाने की आवश्यकता है और इसकी इस विधेयक में व्यवस्था होनी चाहिए । मैं श्री शुक्ल के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन किया जाये । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर और गम्भीरता से विचार करेंगे ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): I welcome this bill. I would like to lay stress on a point that relates to the mismanagement in the hospitals. The Government have to ensure whether the amount thus collected for providing medical aid to

[Shri Ramavatar Shastri]

the workers is used properly or is misused. It is also to be seen that the aim of providing proper medical treatment to the workers and save them from diseases is achieved. But much attention is not being paid to this aspect.

No body pays attention to the requests of the workers. The medicine stock is not properly maintained. Requisite medicines are not available. Patients are given water in the name of mixture. The workers face lot of inconvenience which even results in deaths of so many workers. At present there is greater expenditure on administration and the proportionate expenditure on medicine is less. It would, therefore, be advisable to reduce expenditure on administration. The workers should be given expert treatment. If a survey is conducted in this regard it would be seen that most of the workers do not get expert treatment. Moreover, there is mismanagement in the dispensaries which should be removed then only the good aim and the discussion here will be meaningful. In many hospitals there are no x-ray machines. There are no proper arrangements for giving medical treatment to female patients. Therefore, my submission is that the money collected for the purpose should be properly utilised.

श्री राजा कलकर्णी (बम्बई-उत्तर पूर्व): सभापति महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विधेयक में मुख्यत: तीन बातें हैं । पहली बात बीमा शुदा व्यक्तियों की वेतन सीमा 500 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने के बारे में है । वेतन सीमा की राशि में वद्धि अंशत: उन कर्मचारियों को इस अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत वापस लाने के लिए की गई है जो पहले 500 रूपये प्रतिमाह वेतन में वृद्धि होने पर योजना से बाहर कर दिये गये थे । इससे सभी नये उद्योगों के अधिक से अधिक लोग इस योजना के अन्तर्गत आ जायंगे । साथ ही इससे निगम की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं । मुझे आशा है कि श्रम मंत्रालय निगम, के कार्य करण पर इस दष्टि से विचार करेगा ।

चूंकि अब विभिन्न उद्योगों परिवहन उपक्रमों और अन्य सेवाओं से अधिक से अधिक लोग इस योजना के अन्तर्गत आ रहे हैं तो निगम के ढांचे तथा कार्यकरणपर विचार किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिक कुशल सेवा हो । इस सम्बन्ध में व्यापक विधान बनाया जाना चाहिए । निगम को स्वायत्त निकाय के रुप में पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता है । इस लिए निगम के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन किया जाना चाहिए । मुझे आशा है कि श्रम मंत्रालय निगम के नये स्वरुप और कर्तव्यों के बारे में एक व्यापक विधेयक शीघ्र ही पेश करेगा ।

जहां तक जुर्माना, कड़ी सजाएं आदि का सम्बन्ध है मैं इस सम्बन्ध में अब तक व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हूं । किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि जो कड़ी सजाओं की व्यवस्था की गई है उसे कहां तक क्रियान्वित किया जायेगा । मंत्री महोदय यह भी स्पष्ट करें पहले सजाओं की जो व्यवस्था थी वह कहां तक क्रियान्वित की गई थी । यह सत्य है कि जिन्होंने रकम जमा नहीं की है उनसे वसूली के लिए पूरे प्रयत्न किये जाने चाहिए ।

प्रश्न यह है कि मालिकों और मजदूरों के अंशदान की जो राशियां वर्षों से जमा नहीं की गई और उनके सम्बन्ध में जो मुकदमेबाजी चली उसे कसे दूर किया जाये । इसमें निगम के अधिकारियों का भी काफी समय नष्ट होता है । अत: कड़ी सजा की व्यवस्था के अतिरिक्त भी

कुछ ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिए कि वसूली हो सके । इस सम्बन्ध में उचित अध्ययन किया जाना चाहिए और निगम से एक प्रतिवेदन मांगा जाना चाहिए कि चिकित्सा पर लगने वाले समय की तुलना में मुकदमेबाजी पर कितना समय नष्ट होता है ।

तीसरी बात मुझे धारा 93क के बारे में कहनी है। इसमें किसी करखाने अथवा प्रतिष्ठान के अन्तरण के बारे में कहा गया है जो पूरी तरह से अथवा अंशतः बिक्री, दान,पटटे या लाइसेंस अथवा किसी अन्य तरीके से किया गया हो। इसमें 'किसी अन्य तरीके' का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है । क्या इसका अर्थ अधिग्रहण से है ? गत वर्ष निगम ने कुछ रुग्ण मिलों का अधिग्रहण किया जिनमें अंशदान की राशि जमा नहीं की गई थी और सरकार ने यह देनदारी नहीं ली । तो क्या फिर ये शब्द कि 'किसी अन्य तरीके से' इस सम्बन्ध में इसमें शामिल किये जा रहे हैं । इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांवो (जालौर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । इसमें दो मूल बातें हैं । एक तो कर्मचारियों के अंशदान की राशि जमा न करने पर सजा की व्यवस्था तथा दूसरी बात मजदूरों को अस्पतालों में उचित चिकित्सा सुविधा का न मिलना है ।

राज्य बीमा विधेयक 1946 में लाया गया था और 1948 में पास हुआ । इसे क्रियान्वित करने में चार वर्ष लगे जब कि 1952 में यह योजना दिल्ली और कानपुर में लागू हुई थी। प्राक्कलन समिति ने 1969–70 में यह सिफारिश की थी कि 1000 रूपये वेतन पाने वालों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जाये। यह 1975 में क्रियान्वित किया जा रहा है प्राक्कलन समिति ने राज्य बीमा योजना को कर्मचारी भविष्य निधि के साथ मिलाने की भी सिफारिश की थी । किन्तु इस सम्बन्ध में अब तक कुछ नहीं किया गया है। इनको मिलाने से बहुत कुछ कागजी कार्यवाही कम हो जायेगी और मजदूरों को योजना का लाभ मिल सकेगा । इसे अब तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं । 1948 में हमने यह व्यवस्था की थी कि कर्मचारियों को एक कार्ड दिया जाये और कर्मचारियों का अंशदान रेवेन्यू स्टाप में उस पर लगाया जाये । यदि इस योजना में सुधार किये जायें तो राजकोष का काम भी कम हो जायेगा ।

जब कोई व्यक्ति किसी औद्योगिक उपक्रम में नियुक्त किया जाता है तो उसे कुछ सप्ताह तक कोई लाभ नहीं मिलता है । ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वहां नौकरी पर लगते ही उसे लाभ मिलने चाहिए । अतः इन सब कमियों को दूर करने के लिए राज्य कर्मचारी बीमा योजना में सुधार किये जाने चाहियें ।

यह देखने में आया है कि राजस्थान में कुछ जगहों पर अच्छे अस्तपताल बने हुए हैं किन्तु उनमें पूरे कर्मचारी नहीं हैं जिससे वहां चिकित्सा की पूरी व्यवस्था नहीं है ।

एक संशोधन पेश किया गया है कि जिन मजदूरों को 2 रुपये से कम मजदूरी मिलती है, उन्हें अंशदान देने से छूट दी जाये और यह 3 रुपये की जाये । प्राक्कलन समिति ने 1969–70 में सिफारिश की थी कि 3 रुपये से कम मजदूरी पाने वालों को अंशदान देने से छूट दी जाये ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वार्षिक सफेदी और बिल्डिंग की मरम्मत के लिए नैमित्तिक कर्मचारी लगाये जाते हैं । कर्मचारी राज्य बीमा विभाग इन नैमित्तिक श्रमिकों से भी अंशदान

[श्री नरेन्द्र कुमार सांधी]

लेना चाहता है। इस बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुकद्दमा दायर किया गया और न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसे कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा कानून के अन्तर्गत नहीं आते और उनसे कोई अंशदान नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी राजस्थान के निदेशक इस अंशदान की अदायगी के लिए कारखानों और उद्योगों को उनके द्वारा नैमित्तिक कर्मचारियों को अदा की गई राशि के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। ऐसी प्रशासनिक समस्याओं के सरकार द्वारा हल किया जाना चाहिए ताकि उपक्रमों की वास्तविक कठिनाइयां दूर की जा सकें। आशा है कि सरकार इस दिशा में उचित कार्यवाही करेगी जिससे मजदूरों का इस प्रणाली में विश्वास हो।

Dr. Kailas (Bombay South): Mr. Chairman, Sir, I welcome the Employees State Insurance Amendment Bill, 1975. But I am surprised to see that even during the emergency, Labour Ministry has been sleeping. In fact the officers there do not have deep sympathy for the working class.

This is good that the limit of income has been raised from Rs. 500 to Rs. 1000 but I suggest that it should be further raised to Rs. 1500.

I am happy that the punishment to defaulters has been raised to one year which was previously six months. In fact when the court does not give any punishment to the defaulters the actual loosers are the workers who do not get medical aid. Therefore, it should be provided in the Bill that the worker does not loose in any case. Government should ensure that the provisions are properly enforced and the offenders do not go scot-free. In this connection I would like the Government to keep a watch on those officers who are responsible for implementing the provisions of this Bill. Corrupt officers should be brought to book.

There is shortage of plates in the hospitals and it results in lot of inconvenience to the workers. The doctors are not wellpaid. Unless the doctors and other technical staff is paid at par with their counter parts they will not feel satisfied. It would be better if these hospitals are transferred to Health Department. Moreover, in the present emergency such people should be punished who give wrong advice to the Ministry. For the success of the scheme there should be coordination between the Health and Labour Departments and hospitals should be equipped with necessary medicines, instruments so that proper medical care can be given to the patients.

There is general inefficiency and slackness in this department. During the emergency, steps should be taken to revitalise this department so that it can extend better service to the workers.

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh): This is a long awaited Bill. It is high time that all the labour laws be reviewed and reformed in accordance with the need of the time.

For removing poverty from the country, lot of wealth is required but the more the workers earn wealth in the country the less they get and those who do little labour get more. Since the atmosphere has now changed in the country, this should also change now. The workers should get their due share. Moreover the department of Government dealing with labour problems should also have this outlook so that the standard of the workers is raised. Labour laws should be fully implemented.

It is really sad that some unscrupulous persons do not deposit the contribution of the workers. They manage to escape from the clutches of the law. Such anti-social elements should be severly dealt with. It is good that the punishment for such offences has been made more severe in this Bill.

The workers do not get full justice from the present day courts. In order to confer justice to the workers, special courts should be established which should have exclusive jurisdiction in regard to the workers disputes. We should appoint such persons in the courts who are committed to the welfare of workers. Unless this is done, the workers cannot be expected to get justice at the hands of the law.

There is one more difficulty. Central Government says that labour laws are the concern of State Governments and there is slackness on the part of State Governments. There should be proper coordination in regard to the implementation of labour laws between the States and the Centre. If any State Government is found ineffective in this matter, Centre should take necessary steps to see that State Government acts effectively.

The condition of E.S.I. hospitals is not satisfactory. The workers do not want to go there because they are not paid due attention there. Government should, therefore, see that workers are given proper medical treatment in the hospitals. Committed doctors should be appointed in hospitals and they should be properly equipped and an ordinary worker should get as good a medical treatment as is given to a big man in the country so that the labour class may feel that the Government takes care of the interests of labourers and they should also work for the sake of the country. With these words I support the Bill.

श्री रघुनाथ रेड्डी : महोदय, मैं उन सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने विधेयक के उपबन्धों का, विशेष रुप से उस उपबंध का, जिसमें सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की गई है, स्वागत किया है ।

कुछ उपबंधों और अस्पतालों के कार्य के बारे में आलोचना की गई है । मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि कुछ राज्यों के कुछ अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है और वे अच्छी तरह कार्य नहीं कर रहे हैं । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य कर्मचारी, बीमा निगम के अधीन सभी राज्यों में अस्पताल ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं । कुछ अस्पतालों का काम बहुत अच्छा है । जिसका कारण यह है कि इन अस्पतालों का प्रबन्ध, प्रशासन, डाक्टरों की नियुक्ति राज्य सरकारों के हाथ में है । राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अधिक दिलचस्पी ले रही हैं ।

श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान हमने इस प्रश्न पर विचार किया था कि इन सभी अस्पतालों में सुधार कैसे किया जाये और इसके लिए कौन से काम शीघ्र उठाये जायें यह निर्णय हुआ कि इस मामले में विशेष रुप से श्रम मंत्रियों को दिलचस्पी लेनी चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना च हिए कि इन अस्पातालों के कार्यकरण में सुधार हो । आप यह महसूस करेंगे कि अस्पतालों का प्रशसान राज्य कर्मकारी बीमा निगम के अस्पतालों के मामले में भी स्वास्थ्य मंत्री के अन्तर्गत रहना चाहिये, श्रम मंत्री के अन्तर्गत नहीं । यही कारण है कि इसमें कुछ तकनीकी कठिनाइयां हैं ।

[श्री रघुनाथ रेड्डि]

अगले दिन जब राज्य कर्मचारी बीमा निगम की बैठक बुलायी गई थी, तब पुनः अस्पतालों के सुधार, कार्यकरण के बारे में विचार किया गया था। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि क्षेत्रीय बोर्ड की बैठक 20 दिन के भीतर होनी चाहिए, जिसमें राज्य के एक विशेष क्षेत्र के अस्पतालों के कार्यकरण पर विचार किया जाये कि सुधार कैसे किया जाये और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें और प्रतिवेदन पेश किया जाये।

एक और बात यह कही गई है कि इन अस्पतालों में नौकरी के लिए अच्छे लोग नही आते। श्री सांधी ने विशेष रुप से इस बात का उल्लेख किया है कि विशिष्ट उपकरण आदि तथा विशेषज्ञ इन अस्पतालों में नहीं होते हैं। इस बारे में हम यह सोच रहे हैं कि किसी विशेष क्षेत्र के लिए एक केन्द्रीय अस्पताल खोला जाए जिसमें हमारे विशेषज्ञ, तकनीकी जानकार हों और उसमें अनुसंधान सम्बन्धी सुविधायें भी हों।

मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि विधेयक की धारा 85 में संशोधन की आवश्यकता है। इसमें संशोधन करने में कोई संकोच नहीं किया जायेगा। वर्तमान धारा 85 के अन्तर्गत दण्ड केवल तीन महीने का है। हमने यह दण्ड छः महीने का कर दिया है। इस के बाद में किये गये अपराधों के लिए भी अनिवार्य सजा की व्यस्वथा कर दी गई है।

धारा 93क के बारे में मेरे माननीय मित्र श्री राजा कुलकर्णी ने एक बात और उठाई है कि "किसी अन्य ढंग से जैसे भी हो" का अर्थ क्या है। कारखाने का हस्तान्तरण किसी नियोक्त से किसी दूसरे व्यक्ति को बिक्री, उपहार, पट्टा या लाइसेंस अथवा किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। जहां तक सम्पत्ति के अर्जन का प्रश्न है, सरकार एक संविधि के अन्तर्गत इसका अर्जन करती है।

एक और बात धारा 405 के संशोधन के बारे में उठायी गई है। यदि अपराध सिद्ध हो जाता है तो दण्ड दिया जा सकेगा। विधेयक में उपबन्धित दण्द बहुत कढ़े हैं। यदि ये पर्याप्त नहीं पाये गये तो धारा 405 का उपयोग और दण्ड देने के लिये किया जा सकता है। फिर भी यदि संशोधन की आवश्यकता हुई तो एक और संशोधी विधेयक पेश किया जायेगा और पास कराया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं सभा की स्वीकृति के लिए विधेयक की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय। प्रश्न यह है

"कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 में इसमें संबद्ध एक व्याख्यात्मक उपबन्ध शामिल करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : खण्ड 2 से 9 में कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 9 विधेयक का अंग बने"।

Clause 2 to 9 were added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the enacting formula and the title was added to the Bill.

श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

तारयंत्र तार (विधि-विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक

TELEGRAPH WIRE (UNLAWFUL POSSESSION) AMENDMENT BILL

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि तारयंत्र तार (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

महोदय, तारयंत्रों के अलाइनमेंटों से तांबे के तारों की चोरी के कारण घाटा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तारयंत्र तार (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950 से तारयंत्र तारों के कब्जे को विनियमित किया गया है तथा इनके विधि विरुद्ध कब्जे के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई है। देश में तारयंत्र के तांबे के तारों को चोरों पर अधिक कारगर ढंग से रोक लगाने के लिये इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक समझा गया है। हम सभी को मालूम है कि इन चोरियों से न विभाग को घाटा होता है अपितु संचार व्यवस्था भी अस्तव्यस्त होता है। अतः यह सोचा गया हैं कि उपसंध अधिक कड़े बनाये जायें।

तारयंत्र तार (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1950 में पास किया गया था। इसमें 1962 में संशोधन किया गया। परन्तु इस संशोधन से भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई और इसमें पुनः संशोधन करना आवश्यक समझा गया। इसमें संशोधन करते समय यह प्रस्ताव भी किया गया कि तारयंत्र के तांबे के तार की परिभाषा में भी संशोधन किया जाये जिससे इसे अपनायी गयी दशमलव प्रणाली के अनुरुप बनाया जा सके। फलतः तारयंत्र के तारों की, भारतीय मानक संस्थान द्वारा अनुमोदित रूप में, परिभाषा निर्धारित करने हेतु धारा 2 (ख) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

इसी तरह हमने अधिनियम की धारा 5 में संशोधन किया है जिसमें 1962 में संशोधन किया गया था और जिसमें बाद के अपराधों के मामले में कठोर दण्ड की व्यवस्था है। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि पहली बार अपराध करने पर न्यूनतम सजा अवश्य दी जानी चाहिये और यदि न्यायालय इसका पालन नहीं करता है तो उसे इसके लिये लिखित रूप में कारण बताने होंगे।

[डा० शंकर दयाल शर्मा]

जहां तक इनमें परिवर्तनों का सम्बन्ध है, ये आवश्यक थे, क्योंकि इस सभा की लोक लेखा समिति अपराध की गंभीरता पर बात करती रही है। इसके बाद समूचे मामले पर जुलाई, 1964 की पुलिस महानिरीक्षक के सम्मेलन में विचार किया गया था। उन्होंने भी यह सुझाव दिया था कि प्रथम अपराध दण्डनीय हो।

हमने कतिपय आनुषंगिक परिवर्तन किये हैं। एक परिवर्तन तो यह है कि मूल अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि न्यायालय तभी दण्ड योग्य समझेगा जब कि इस कार्य के लिये विशेष रुप से अधिकृत कोई अधिकारी शिकायत करेगा। लेकिन अब हमने व्यवस्था की है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के उपबंधो के अंतर्गत कोई भी सरकारी अधिकारी न्यायालय में जा सकता है। मूल अधिनियम में पुलिस द्वारा तलाशी लेने या जब्त करने की व्यवस्था नहीं थी। हमने अब इसके लिये व्यवस्था कर दी है। हमने यह भी व्यवस्था कर दी है कि विधि विरुद्ध कब्जे में किये गये तारयंत्र तार को जब्त किया जा सकता है। यह भी उपबन्ध किया गया है कि चोरी किये गये तार को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले वाहन को भी जब्त कर लिया जायेगा। यह विधेयक अविवादास्पद है और मुझे आशा है कि सभा इसे सर्वसम्मति से पास करेगी।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda): Mr. Chairman, Sir, As stated by the honourable Minister this Bill is very simple and small also. There are only two or three amendments in the Bill. But why it has been so delayed. It should have been brought forward earlier.

Cases of theft of telegraph wires have been consistently on increase. The Government had given an assurance at the time of the past amendment to the Act that the number of thefts will be reduced but we find that the number has increased. Let us now hope that after this Bill is passed, the object, in view, will be achieved and the number of thefts will be minimised.

There should be better coordination between the State and Central Governments in order to track the criminals. Public cooperation is also required to prevent such thefts. This Department has assumed vital importance during the emergency. Government should keep proper vigilance against sobotage etc.

The functioning of the Post and Telegraph Department is not satisfactory. The service is poor and the behaviour of the employees is discourteous. The honourable Minister should take necessary steps to see that the Department functions more efficiently.

Secondly, Exchanges are opened but there are no equipments and material I fail to understand why equipments and material are not there when only telegraph wires are stolen?

This Bill is good and I support it. I hope that attention will be paid to the suggestions made by me.

श्री वयालार रवि (चिरपिंकोल) : सभापति महोदय, इन चोरियों से विभाग और इस आवश्यक सेवा के उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। इन चोरियों को रोकने के लिये मंत्री महोदय ने जो उपाय किये हैं उनके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं मंत्री महोदय के इस विचार से भी सहमत हूं कि इसके लिये कड़ाई से निपटा जाना चाहिये। विभाग में इस तरह की चोरियां समय-समय पर नहीं होनी चाहिये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विभाग के कुछ कर्मचारी भी इस तरह के कार्यों के लिये जिम्मेदार हैं।

श्री भगवत झा आजाद पीठासीन हुए

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

विभाग विभागीय कार्यवाही करता है विभागीय कार्यवाही बरखास्त करने के साथ समाप्त हो जाती है। यह पर्याप्त नहीं है। इसी कारण सरकार ने यह नया संशोधन लाया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसके लिये अधिक कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मेरा सुझाव यह है कि जब कभी सरकार किसी स्थान की तलाशी लेती है और वहां उसे अवैध रूप से कब्जे में किया हुआ तांबे का तार मिलता है वहां की प्रत्येक वस्तु जब्त की जानी चाहिये तथा तार रखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिये। इसकी चोरी इतनी बढ़ गई है कि कभी-कभी तो पेशेवर चोर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैले तारयंत्र की ही चोरी कर लेते हैं। अतः विभाग द्वारा तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा अनवरत निगरानी रखी जानी चाहिये। तभी ये चोरियां रोकी जा सकती हैं।

विभाग के कार्य में भी सुधार किये जाने की आवश्यकता है। सरकार ने विभाग को दो भागों में बांट दिया है एक डाक और दूसरा दूर-संचार है। इसके दो विभाग किये जाने के बाद इस विभाग की कार्यकुशलता बहुत हद तक घट गई है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। दूर-संचार प्रतिष्ठान में कुछ कर्मचारी राष्ट्रद्रोही गतिविधियां करते हैं। केरल सर्किल में कुछ कर्मचारी अपने ही घृणित प्रचार के लिये इस टेलिफोन प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इन दोनों विभागों को मिलाकर पहले की भांति फिर से एक विभाग कर दिया जाना चाहिये।

केरल में इस विभाग में उपकरण सप्लाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि केरल दक्षिण के किनारे पर है। लेकिन दिल्ली स्थित विभाग द्वारा केरल में उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब करने का कोई कारण नहीं है इससे उपभोक्ताओं को काफी असुविधा होती है। मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह इस मामले की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि केरल को कितना माल सप्लाई किया गया है केरश की माग कितनी है।

हम गत चार-पांच वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि शीरतलाई में एक स्वचालित केन्द्र खोला जाये। इसका यह उत्तर दिया जाता रहा है कि मशीन की सप्लाई कम है। मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि उन्हें इस तुच्छ मांग को स्वीकार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हुं।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं कि तारयंत्र के तांबे के तारों की चोरी राष्ट्रविरोधी अपराध है। हमें इस अपराध के प्रति अत्यधिक कठोरता बरतनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार को भी राज्य सरकारों को अनुदेश देने चाहिये कि तारयंत्र तारों की चोरी का अपराध करने वालो को आंसुका के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाना चाहिये।

पहली बार यह अपराध करने वाले को कम से कम एक वर्ष की सजा या 1,000 रुपये जुर्माना करने की व्यवस्था की जा रही है। जुर्माने की राशि बढ़ाकर 2,000 रुपये करना चाहिये तथा सजा की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष की जानी चाहिये। चूंकि यह अत्यन्त गंभीर अपराध है इसलिये अपराधी पर 2,000 रुपये जुर्माना और 2 वर्ष की कठोर कारावास का दण्ड दिया जाना चाहिये। अभ्यस्त

[श्री के० मायातेवर]

अपराधियों के साथ अत्यधिक कठोरता बरती जानी चाहिये । इसमें उनको 5 वर्ष की सजा और 3,000 रुपये के जुर्माना की व्यवस्था की गई है । दूसरी बार अपराध करने वालों तथा अभ्यस्त अपराधियों के लिये यह न्यूनतम सजा होनी चाहिये, अधिकतम नहीं ।

छोटे-छोटे अपराध जमानत योग्य होते हैं । इसे गंभीर और राष्ट्रविरोधी अपराध माना जाना चाहिये । इसकी जमानत नहीं होनी चाहिये तभी बड़े व्यक्ति ऐसा अपराध करने से डरेंगे । इससे अभ्यस्त अपराधियों में भी सुधार होगा ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): Mr. Chairman, Sir, I welcome the Bill. The theft of copper wires has increased considerably. It is, therefore, necessary to make the provisions of the original Act stringent. This Bill is a step in the right direction.

I would like to draw the attention of the honourable Minister towards sub-clause 6(B) of clause 4 of the Bill which provides for confiscation of any conveyance or animal used for the transport of stolen telegraph wires. If the conveyance or animal is used for transport of stolen telegraph wires with the connivance of the owner then it is all right to punish him. But it is too much to expect the owner to search the goods of each and every passenger. The new sub-clause 6(B) as worded casts the responsibility on the owner of the conveyance or animal to ensure that he has taken all reasonable precautions against the use of his vehicle or animal for transport of stolen wires. This provision will cause undue hardship to those people who earn their livelihood by plying tonga etc. It may therefore, be suitably amended.

Shri Ram Hedaoo (Ramtek): Mr. Chairman, Sir, the Bill aims at checking theft of telegraph copper wires. It is a welcome measure. It has to be borne in mind that there are groups of people who commit thefts of government property. The owners of the factory who manufacture utensils instigate people to steal copper wires. They use stolen wires to prepare utensils. In fact, there is no record of this. If the thief carrying wires is caught on the way he is punished but of the wires go inside the factory, the owner is safe because he says that this quantity of the wire has been sonctioned to him under quota.

Further what happens is that the persons who are responsible for engineering thefts, go scot free whereas poor persons who commit thefts for the sake of their belly, are punished. The persons belonging to Congress(R) have not been touched at all in such thefts. I request that the persons behind the thefts must be punished.

A great responsibility rests on the police department. But whenever irregularities committed by the big persons come to light, the police is pressurised from above to let those persons go scot free. So the big persons always go scot free. They cannot be punished in accordance with the law of the land. Steps should be taken to arrest such people under MISA.

There is a gang operating behind the pilferage of railway goods such as wire etc. Government should find out the forces behind such offences and the offenders should be dealt with severely.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): The Bill is simple and non-controversial. The fact remains that in spite of the existence of the original Act with subsequent

amendments, thefts of telegraph wires continue. The Minister should tell us in how many cases prosecutions have been launched under the provisions of this Act.

I have sent a telegram to Ranchi from the Parliament House telegraph office about three months back. The same has not reached so far. It is said that when there is large number of telegrams letters are sent in lieu thereof. But even letter has not reached there. Such is the sorry state of affairs in this department. Whenever one rings up the P & T department, the operators do not lift the phones. Such is the inefficiency prevailing there. Corruption has also crept in the P & T department. Steps should be taken to improve the working of the department.

Shri Kamla Mishra 'Madhukar' (Kesaria): In the Bill, it is being provided that an offender can be punished with fine or imprisonment. This provision should be suitably amended so that offender is punished with both.

It is very essential to get public cooperation for checking thefts of wires. But there is no provision made in the Bill. I know a case in this regard. In my own district Champaran, we caught the S.D.O. of telephone, Motihari in connection with such thefts and we sent a telegram to the Home Minister for taking action against him. He was transferred to Gujarat but now he has a recommendation of an honourable Member and the result is that he is getting promotion. So it is not possible to punish him. I wonder how the things can be improved in such situation?

श्री गिरिधर गोमागो (कोरापुट) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यदि प्रशासनिक तन्त्र ठीक प्रकार से कार्य करे तो तारों के विधि विरूद्ध कब्जे पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। उडीसा में ऐसे अनेक मामले हुए ह। सरकार को इस राज्य के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलानी चाहिये जिसमें इस पर प्रतिबंध लगाने के लिये उनके सुझाव मांगे जायें।

सभी राज्यों में सलाहकार-बोर्ड का गठन किया गया है किन्तु उडीसा में इस बोर्ड की कभी कोई बैठक नही होती। संचार मंत्रालय ने टेलीफोन सुविधायें की उपलब्धता के विषय में एक सर्वेक्षण किया है उडीसा में यह सुविधा न्यूनतम है राज्य में कुछ जिले और क्षेत्र बिल्कुल ही पिछडे हुए हैं जहां पर टेलीफोन की सुविधाओं का अभाव है।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को जो धन देती है वह समूचे राज्य के विकास के लिये दिया जाता है किन्तु सच तो यह है कि उस धन को विकसित क्षेत्रों पर खर्च किया जाता है। कुछ समय पहले कुछ ऐसे अधिकारी नियुक्त किये गये थे जिनके दिल में पिछले क्षेत्रों के लिये सहानुभूति थी तब इन क्षेत्रों का कुछ विकास भी हुआ किन्तु अब सभी योजनाएं निलम्बित पड़ी हुई हैं।

प्रशासनिक तन्त्र में सुधार करना चाहिये। अब टेलीफोन सेवा को डाक सेवा से अलग कर दिया गया है अब पिछडे क्षेत्रों में संचार सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षाकृत सुगम हो गया है। केन्द्रीय सरकार को सभी राज्य सरकारों को यह निदेश देना चाहिये कि वह पिछडे क्षेत्रों के विकास में विशेष ध्यान दें।

जिला मुख्यालयों से राज्य की राजधानी के साथ सीधी टेलीफोन सेवा सम्बन्धी सुविधा का प्रस्ताव अभी पूरा नही हुआ। इस दिशा में शीघ्र कार्यवाह की जानी चाहिये।

श्री धमनकर (मिवडी): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। तारों की चोरी के अनेक कारण हैं। भूल अधिनियम 25 वर्ष पहले बनाया गया था और उसमें कड़े दण्ड की व्यवस्था नहीं की गई थी। दूसरे देश में तांबे की कमी हो रही है और तारों को काटना और उन्हें प्रयोग में लाने सम्बन्धी तकनीक में काफी सुधार हो चुका है। इस तथ्य को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता कि कर्मचारियों की मिलीभगत से यह चोरियां की जाती हैं।

जब किसी क्षेत्र की तारों को काट दिया जाता है तो तार यन्त्र सेवा ठप्प हो जाती है और कई दिनों तक बल्कि कई महीनों तक टेलीफोन कार्य नहीं करते हैं। जब सरकारी कार्यालयों में ऐसा हो रहा है तो बेचारे नागरिकों की क्या बात है जो तारें भेजते है। 50 मील के घेरे में आने वाले स्थानों को दी गए तार तीन दिन बाद मिलते हैं जब इस सम्बन्ध में शिकायत की जाती है तो उत्तर मिलता है कि जांच करेंगे। तार यन्त्रों की चोरी को कम करने के लिये कानून कड़े बनाये जायें। कारावास अथवा जुर्माने के स्थान पर यह कारावास और जुर्माना होना चाहिये। साथ ही जनता का सहयोग भी इस सम्बन्ध में प्राप्त किया जाये। तार यन्त्र घने जगलो में से होकर गुजरते हैं अगर उनकी सुरक्षा के लिये ग्राम पंचायतों को कहा जाये तो इससे इस सम्बन्ध में सहायता मिलेगी। ग्रामवासी सोचेंगे कि यह उनकी उपनी सम्पति है और उन्हें इसके बारे में सरकार को सूचित करना है। तारयन्त्र केन्द्रीय सरकार की सम्पति होते हैं और राज्य सरकार इस ओर अधिक ध्यान नहीं देती किन्तु यदि ग्रामीणों और ग्रामपंचायतों की सहायता ली जाये तो समस्या का समाधान हो सकता है।

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhli Shahr): All measures aimed at checking thefts of public property like telephone wires deserve full support. It has been noted that owners of factories engaged in manufacture of utensils, have a hand in these thefts.

The Government should pay attention to this aspect of the matter and take steps to see that these factory owners do not indulge in this activity.

There is need to tone up the administration of the Telegraph Department. Certain employees do not pay adequate attention to their duties.

It was decided to set up a telephone exchange at Sujan Ganj in Jaunpur district of U.P. But the exchange has not been put up so far. Steps should be taken to provide the telephone exchange there.

I have been making efforts to get a telephone in my constituency for quite some time. The telephone has not been provided so far. Attention should be paid to this matter also.

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar): In my constituency there are number of post offices housed in private buildings. The Government have to pay high rents. But the P & T department has not put up their own buildings.

The P & T building in Ganganagar is in a very bad condition. It needs repairs badly. Attention should be paid to this matter.

The P & T employees in Ganganagar have to face housing difficulties. Steps should be taken to provide quarters for them.

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma): It is gratifying that the Members have welcomed the objectives behind the Bill. A number of suggestions have also been made by the Members.

It is said that coopration of State Government should be secured to check thefts of telegraph wires. The fact is that the entire work of checking thefts is in the hands of the State Governments.

It is said that stolen wires are taken to factories and it is not possible to trace them. It is with a view to finding out stolen wires that provision is being made in the Bill for search, seizure and confiscation of stolen wires. Stolen wires can be found out from the premises of a factory.

It is being provided that the conveyance or animal used for transport of stolen wires would be confiscated unless it is proved by the owners that the vehicle or animal was used without the knowledge or connivance of the owner. All necessary precautions have been taken that there is no harassment of any kind.

There are no two opinions that we need cooperation of the people in the task of checking thefts of wires. It will always be our endeavour to secure cooperation of the people.

It is said that Kerala is being ignored in the matter of telecommunication facilities. This is not a fact. Figures showed that Kerala has received proper attention in the matter of telephone facilities. Last year only one trunk automatic exchange was opened in the country and that is in Kerala. STD has also been introduced for Kerala.

Attention has been drawn to the negligence on the part of the employees in the Telephone Department. No doubt, employees used to be negligent in the past, but after the emergency, there is marked improvement. There has been improvement to the extent of 80 per cent in this matter.

It is said that special attention should be paid to backward areas in the matter of telecommunications facilities. Our difficulty is that ours is a commercial department. We have to cater to the development needs out of our own funds. We do not get any specific amount out of the Five Year Plan allocations. Therefore, we have to give preference to those areas from where return is good.

The demand for telephone connections is increasing. There is a waiting list of 1 lakh and 86 thousands people in Bombay and that of one lakh and eight thousand in Delhi. We are taking steps to deal with the situation.

So far as equipments are concerned, efforts are being made to increase its production. It is also our endeavour that spare parts are produced in large quantity in our production units.

We have appointed teams of experts for Delhi. These teams will visit different exchanges and will try to remove the shortcomings in these exchanges. Three teams will look into the working of exchanges, three will look after transmission and one will attend to billing. It is hoped that with these steps and with the cooperation of the workers, there will be improvements in the working of the Telephone Department.

Mr. Chairman: The question is:

> "That the Bill to further amend for Telegraph Wires (unlawful possession) Act, 1950, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Mr. Chairman: Now we will take up clause by clause consideration of the Bill.

There is no amendment to clause 2.

The question is: "that clause 2 stands part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

The clause 2 was added to the Bill.

Clause 3

Shri Ramavtar Shastri: I beg to move my amendment Nos. 3, 4 and 5. The Bill provides for imprisonment or fine for theft of wires. There should be a provision for imprisonment and fine both.

Also the employees who colluded in the theft of telegraph wires should be punished.

Shri Shankar Dayal Sharma: The provision for imprisonment or fine or both has been there in the principal Act. This Bill provides that for the first offence the term of imprisonment will not be less than one year and the fine will not be less than one thousand rupees.

So far as the another is concerned, he will be punished according to the principle of the criminal law.

Mr. Chairman: Mr. Shastri, will you withdraw your all the three amendments now?

Shri Ramavtar Shastri: I will press for amendment No. 4 but I would like to withdraw amendment Nos. 3 and 5.

Amendment Nos. 3 and 5 were, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 3 और 5 सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 4 was put and negatived.

Mr. Chairman: The question is:

"That clause 3 stands part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 3, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 were added to the Bill.

Mr. Chairman: There are no amendments to clauses 4, 5 and 6.

The question is:

"That clauses 4, 5 and 6 stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

The clauses 4, 5 and 6 were added to the Bill.

खण्ड 4, 5, 6 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Mr. Chairman: There is an amendment No. 2 to clause 1 by the honourable Minister. Will you move it?

Shri Shankar Dayal Sharma: I beg to move:—

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"1974" के स्थान पर "1975" रखा जाये

It is absolutely a consequential amendment it may be adopted.

Mr. Chairman: The question is:—

"1974" के स्थान पर "1975" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Mr. Chairman: The questions is:—

"That clause 1, as amended, stands part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Clause 1 as amended was added to the Bill.

खण्ड संख्या 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Mr. Chairman: There is an amendment No. 1 to the enacting formula by the Minister.

Shri Shankar Dayal Sharma: I beg to move:

पृष्ठ 1, पंक्ति

'25 वां' के स्थान पर '26वां' रखा जाये

Mr. Chairman: The question is:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, '25 वां' के स्थान पर '26 वां' रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Mr. Chairman: The question is:

"The Enacting Formula, as amended, Stands part of the Bill."

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन-सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Mr. Chairman: The question is:

"The Long title stands part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

"The long title was added to the Bill."

"विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।"

Dr. Shankar Dayal Sharma: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Mr. Chairman: The House stands adjourned till tomorrow:

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार 31 जुलाई, 1975/9, श्रावण 1897 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Enacting Formula, as amended was added to the Bill.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 31, 1975 *Sravana* 9, 1897 (*Saka*).

GMGIPND—L—1295—LS 24-9-75—200.

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 274(14)
DATE. 3.10.75

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1265 LS—1